



कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर - 342001

email- jdajodhpur@yahoo.com वेब-साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/2656355-7 Fax 021-2612086



क्रमांक/बैठक/2018/भाग(8)/1289

दिनांक :: 11 मई, 2020

बैठक कार्यवाही विवरण

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की बैठक दिनांक 24 फरवरी, 2020 को सांय 3.45 बजे श्री बी.एल. कोठारी, आई.ए.एस., संभागीय आयुक्त एवं अध्यक्ष महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में उपस्थित सदस्यों/अधिकारियों की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये:-

प्रस्ताव संख्या 1 :: गत बैठक दिनांक 02 अगस्त 2019 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि

प्राधिकरण की गत बैठक दिनांक 02 अगस्त 2019 का कार्यवाही विवरण जारी किया जा चुका है। अतः प्राधिकरण की गत बैठक दिनांक 02 अगस्त 2019 का कार्यवाही विवरण पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से गत प्राधिकरण बैठक दिनांक 2 अगस्त, 2019 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 2 :: वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु बजट प्रावधान लेखाशीर्षक वाइज दिनांक 02.08.2019 को आयोजित प्राधिकरण बैठक में अनुमोदित/स्वीकृत किया गया। कार्य की आवश्यकता को देखते हुए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करते समय बजट प्रावधान की कमी को पूरा करने हेतु स्वीकृत बजट प्रावधानों को पुर्नियोजन के माध्यम से पूर्ति की गई थी। बजट पुर्नियोजन को प्राधिकरण बैठक अनुमोदन की प्रत्याशा में अध्यक्ष जोधपुर विकास प्राधिकरण से अनुमोदित करवाया गया है। जिन कार्यों हेतु बजट पुर्नियोजन करवाया गया है उनका विवरण निम्नानुसार है

क्र. सं.	कार्य का नाम	राशि पुर्नियोजित की गई (लाखों में)
1	राजस्थान उच्च न्यायालय नवीन भवन के विभिन्न कार्यों हेतु	300.00
2	1. वार्ड नं. 59 में स्थित शिव शक्ति नगर गली न 1,2,3 व अन्य गलियों में सीसी सडक निर्माण कार्य 2. बाबू लक्ष्मणसिंह पार्क से भदवासिया पुलिया तक सडक निर्माण कार्य	176.30 123.36
3	महामंदिर तीसरी पोल से बाबू लक्ष्मणसिंह चौराहा होते हुए लिंक तक सडक सुदृढीकरण एवं रिकारपेटिंग का कार्य	117.12
4	1. वार्ड संख्या 57 के सारण नगर सी रोड महादेव नगर व अन्य शेष रहे क्षेत्रों में सीवर डालने का कार्य	261.78

	2. वार्ड नं. 57 के विष्णु नगर डिगाडी क्षेत्र के आस-पास शेष रहे क्षेत्रों में सीवर लाईन डालने का कार्य (150+111.78)	
5	झालामण्ड स्थित बनवाडियो की ढाणी खेतानगर, आदर्श नगर नारायण नगर, माता राणी भटियाणी, ख.नं. 72, मीरा विहार (ख.नं. 40) में सीवर लाईन से क्षतिग्रस्त सडकों का निर्माण कार्य	200.00
6	चौपासनी रोड भट्टी की बावडी से जैसलमेर बाईपास तक सडक सुदृढीकरण का कार्य	143.20
7	जोन उत्तर में स्थित मुख्य सडकों के डिवाइडरो पर लगे पेड-पोधो का रखरखाव, नये पोधे लगाने का कार्य	20.50
8	जोन उत्तर के क्षेत्राधिकार में स्थित विभिन्न स्थानों पर सिविल मरम्मत का कार्य	49.95
9	पावटा सी मैन रोड स्थित शक्ति नगर गली नं. 1 व 3 में सी.सी. सडक निर्माण कार्य	122.82
10	नये दो वाहनों का क्रय का अनुमोदन (राज्य सरकार की स्वीकृति क्रमांक 48(22)न.वि.वि/1/2016 दिनांक 21.10.2019 के तहत)	45.00
11	ग्राम आंगणवा के स्वीकृत प्लान खसरा नं. 188/1,188/11,188/2 एवं 188/10 हेतु एप्रोच सडक निर्माण कार्य	22.75
12	शिकारगढ स्थित आशापूर्णा नेनोमेक्स की एप्रोच सडक का निर्माण कार्य	19.45
13	शाला क्रीडा संगम गौशाला मैदान में नवीन मल्टी पर्पज इण्डोर हॉल का निर्माण कार्य	64.29
14	पाल रोड पाल बालाजी के पास मडतिया गार्डन से ब्लूमिंग स्कूल तक सडक निर्माण कार्य	12.85
15	ग्राम गंगाणा से मौलाना आजाद युनिवर्सिटी बुझावड तक एप्रोच सडक निर्माण कार्य	75.40
16	अरिहन्त नगर आवासीय योजना के बाह्य विद्युतीकरण	21.50
17	जोधपुर विकास प्राधिकरण के जोन-उत्तर में विभिन्न स्थानों पर इन्टरलॉकिंग टाईल्स लगाने का कार्य (वार्षिक अनुबंध 2020-21)	70.00
18	आयकर कॉलोनी इमरतिया बेरा श्री रूपकॉवर के मकान से पावटा सी रोड मुख्य सडक तक स्टोन पेवमेन्ट का कार्य।	77.40
19	वार्ड सं 64 में आमली बेरा में सडक निर्माण कार्य।	84.00
20	वार्ड सं.64 स्थित भियाला बेरा गोपी का बेरा में स्टोन पेवमेन्ट सडक का कार्य।	197.55
21	राजीव नगर ए बी सी डी व अन्य गलीयों में डामरीकरण कार्य।	60.00
22	जोन उत्तर के वार्ड नं 54 में विभिन्न स्थानों पर स्टोन पेवमेन्ट सी सी एवं इन्टरलॉकिंग टाईल्स लगाने का कार्य।	107.35
23	महेश्वरी कॉलोनी आकाशवाणी के पीछे स्टोन पेवमेन्ट व सीवररेज का कार्य।	76.45
24	इमरतिया जाव समस्त क्षेत्र श्री अरिहन्त दीप पावटा सी रोड मुख्य सडक से अन्नापूर्णा डेयरी तक स्टोन पेवमेन्ट का कार्य।	64.35
25	Construction of Approach Road for IOCL & HPCL Land in khasra no. 3 gram Ujaliya	97.10
26	तीसरी पोल से मदवासिया रोड पर दुकान अनिल किराना स्टोर से नेचुरल फ्रेश दुकान तक बाबू लक्ष्मणसिंह चौराहा के पास शेष रोड पर आसलेट लगाने का कार्य	32.60
27	गऊ घाटी स्थित प्रकाश आश्रम में परसराम जी के मन्दिर के गेट	37.00

— E —

	से नारु जी के मकान तक स्टोन पेवमेन्ट सड़क निर्माण कार्य।	
28	वार्ड नं. 55 में डामरीकरण का कार्य।	41.30
29	पाली बाजार रिखबन्द चन्द जी के मकान से मण्डोर स्कूल तक स्टोन पेवमेन्ट व सीवर का कार्य।	31.40
30	वार्ड नं. 61 में स्थित रावत नगर में डामरीकरण का कार्य।	30.50
31	झालामण्ड स्थित प्रभु कॉलोनी में विभिन्न गलियों में सी सी सड़क निर्माण कार्य।	35.00
32	खेजडली शहीद स्थल से बीडासनी तक सड़क निर्माण कार्य।	127.00
33	झालामण्ड स्थित बनवाडियों की ढाणी, खेतानगर, आर्दश नगर प्रथम, नारायण नगर, माता रानी भटियाणी, खं.नं.72, मीरा विहार (ख. नं 40) में सीवर लाईन से क्षतिग्रस्त सड़को का निर्माण कार्य।	220.80
34	मारवाड नगर में सीवर लाईन से क्षतिग्रस्त सड़को पर डामरीकरण का कार्य।	17.35
35	जवाहर नगर, शांति नगर, पूजा कॉलोनी, कुबेर नगर चौपासनी स्कूल के पास सीवर लाईन से क्षतिग्रस्त सड़को पर डामरीकरण का कार्य	27.20
36	विजय नगर, श्री रामनगर व अन्य नगरों में सीवर से क्षतिग्रस्त सड़क निर्माण कार्य	87.00
37	भंवर लाल चौधरी के मकान से राजू प्रजापत के मकान तक एवं श्री शेराराम जी विश्नाई के मकान से पीपली चौक तक सड़क निर्माण कार्य।	12.45
38	मानसरोवर स्कीम में सड़क निर्माण कार्य।	6.35
39	जोधपुर विकास प्राधिकरण के जोन पश्चिम में विभिन्न स्थानों पर स्टोन पेवमेन्ट का कार्य (वार्षिक अनुबन्ध)	80.00
40	जोधपुर विकास प्राधिकरण के जोन पश्चिम में विभिन्न स्थानों पर इन्टरलॉकिंग टाइल्स लगाने का कार्य (वार्षिक अनुबन्ध)	40.00
41	साई बाबा मन्दिर के पीछे रूपनगर द्वितीय की गली न 3,4,5 में डामर सड़क का निर्माण कार्य।	18.00
42	उत्तर विहार, नेहरू नगर से मेड़तीया गार्डन पाल रोड तक सड़क निर्माण कार्य।	60.10
43	पश्चिम जोन क्षेत्राधिकार में स्थित सड़को के पेच मरम्मत का वार्षिक अनुबन्ध कार्य।	106.25
44	पाल रोड स्पाईसी किचन से पीपली चौराहा होते हुए पी.एफ ऑफिस तक सड़क सुदृढीकरण का कार्य	109.75
45	नेत्रहीन विकास संस्थान, कमला नेहरू नगर के पास नाला मरम्मत कार्य	4.40

उक्तानुसार बजट पुर्नियोजन के प्रस्ताव जोधपुर विकास प्राधिकरण की आगामी प्राधिकरण बैठक में स्वीकृति की प्रत्याशा में स्वीकृत किये गये थे उन सभी बजट पुर्नियोजन को प्राधिकरण बैठक दिनांक 24.02.2020 में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

बजट पुर्नियोजन के प्रस्तावों की पुष्टि प्राधिकरण करवाने का विवरण

क्र.सं.	संज्ञा जहाँ से संज्ञा बननी है				क्र. सं.	संज्ञा जहाँ से संज्ञा बननी है					
	बजट संशोधन	उपरोक्त प्रायोजन	पुर्नियोजन व से काग जी काने वाली राशि	रैच प्रायोजन		बजट संशोधन	उपरोक्त प्रायोजन अथवा राशि	पुर्नियोजन व से जोड़ी काने वाली राशि	शेष	संज्ञा की शिनाई	कारण

(Handwritten signature)

1	5005-01-000 (01)	700.00	300.00	400.00	1	5006-01-000 (06)	125.00	300.00	425.00	8/8/2019	राजस्थान न्यायसचय नवीन भवन के विभिन्न कार्य हेतु
2	5006-03-000 (01) 5006-03-000 (01)	800.00 623.70	176.30 123.36	623.70 500.34	2	5006-0-000 (01) 5006-01-000 (01)	11.10 0.00	176.30 123.36	187.40 123.36	3/9/2019 3/9/2019	1. वार्ड नं. 69 में स्थित शिव शक्ति नगर गली नं. 1,2,3 व अन्य गलियों में सीसी सड़क निर्माण 2. यमु लक्ष्मणसिंह पार्क से भदवासिया पुलिसा तक सड़क निर्माण कार्य
3	5006-03-000 (01)	500.34	117.12	383.22	3	5006-01-000 (01)	0.00	117.12	117.12	3/9/2019	महाजंतिर तीसरी पोल से यमु लक्ष्मणसिंह बीराहा छोटे हुए सड़क तक सड़क सुवृद्धीकरण एवं रिजार्पेंटिंग का कार्य
4	5002-06-002 (02) 5002-06-002 (03)	300.00 300.00	150.00 111.78	150.00 188.22	4	5006-01-000 (01)	0.00	261.78	261.78	12/9/2019	1. वार्ड संख्या 57 के सारण नगर सी रोड महादेव नगर व अन्य रोड रहे क्षेत्रों में सीवर लाइने का कार्य 2. वार्ड नं. 57 के विष्णु नगर विगाड़ी क्षेत्र के आस-पास रोड रहे क्षेत्रों में सीवर लाईन रखने का कार्य
5	5005-01-000 (06)	300.00	200.00	100.00	5	5005-01-000 (01)	400.00	200.00	600.00	13-09-2019	झालामण्य स्थित सनवाटियों की जमीनी छैतानगर, आदर्श नगर नारायण नगर, माया राणी भटियाणी, ख.नं. 72, बीरा किहार (ख.नं. 40) में सीवर लाईन से क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण कार्य
6	5005-02-000 (06)	166.64	143.20	23.44	6	5005-02-000 (06)	22.25	143.20	165.45	13-09-2019	पौपासनी रोड भट्टी की बावड़ी से धिसलनेर बाईपास तक सड़क सुवृद्धीकरण का कार्य
7	5006-03-000 (01)	333.27	20.50	312.77	7	5005-03-000 (08)	0.00	20.50	20.50	13-09-2019	जोन उत्तर में स्थित मुख्य सड़कों के विचारों पर लगे पेड-पोल्स का रखरखाव नये पोल्स लगाने का कार्य
8	5006-03-000 (01)	383.22	49.95	333.27	8	5005-03-000 (01)	0.00	49.95	49.95	13-09-2019	जोन उत्तर के वीजफिकर में स्थित विभिन्न स्थानों पर विभिन्न मरम्मत का कार्य
9	5006-03-000 (01)	220.27	122.82	97.45	9	5005-03-000 (01)	0.00	122.82	122.82	16-09-2019	वायटा सी की रोड स्थित शक्ति नगर गली नं. 1 व 3 में सी.सी. सड़क निर्माण कार्य
10	5001-09-001	150.00	45.00	105.00	10	5001-13-008	0.00	45.00	45.00	22-10-2019	नये पो सड़कों का प्रय का अनुमोदन (सम्य संस्कार की प्रतीति क्रमांक 48(22)न.वि. दि./1/2018 दिनांक 21.10.2019 के तहत)
11	5002-03-009 (01)	100.00	22.75	77.25	11	5006-03-000 (01)	23.45	22.75	46.20	12/12/2019	ग्राम मंगलवा के स्वीकृत प्लान छसता नं. 166/1,168/11,168 /2 एच 100/10 हेतु प्रीक्ष सड़क निर्माण कार्य
12	5006-01-000 (12)	400.00	19.45	380.55	12	5006-01-000 (01)	0.55	19.45	20.00	7/1/2020	सिंघारगढ़ स्थित अशामुर्चा नैनेलेक्स की एरींग सड़क का निर्माण कार्य
13	5006-01-000 (12)	380.55	64.29	316.26	13	5006-01-000 (06)	110.71	64.29	175.00	7/1/2020	राजा प्रिया संगम गीशासत रीपन में भरीय भट्टी पर्येश प्रणाली ठीक का निर्माण कार्य
14	5002-02-014 (01)	24.60	12.85	11.75	14	5006-02-000 (01)	0.00	12.85	12.85	6/1/2020	पार रोड पार कासगी के पास मछलिया गाँव से खुलिया रूख तक सड़क निर्माण कार्य
15	5002-02-014 (01)	100.00	75.40	24.60	15	5006-02-000 (01)	4.40	75.40	79.80	9/1/2020	ग्राम मंगलवा के मोतलन आबाय खुलिया रूख एरींग दुखानद तक एरींग सड़क निर्माण कार्य

— E M —

16	5005-02-000 (03)	141.30	21.50	119.80	16	5009-02-001	50.00	21.50	71.50	20-01-2020	अतिरिक्त नगर आवासीय योजना के माध्य विद्युतीकरण	
17	5002-04-002-(01)	25.00	10.00	15.00	17	5005-03-000 (01)	0.00	70.00	737.10	20-02-2020	जोधपुर विकास के जॉन-उत्तर में विभिन्न स्थानों पर इन्टरसीफिंग टर्मिनस लगाने का कार्य (वार्षिक अनुबंध 2020-21)	
18	5002-04-008-(01)	25.00	25.00	0.00	18		77.40	20-02-2020	अयस्क कॉलोनी इमरतिया बेरा श्री रूपसेवर के मकान से पावटा सी रोड मुख्य सड़क तक स्टेशन पेवमेंट का कार्य।			
19	5002-04-003-(01)	224.00	224.00	0.00	19		84.00	20-02-2020	वार्ड नं 64 में आम्ली बेरा में सड़क निर्माण कार्य।			
20	5002-04-003-(02)	50.00	50.00	0.00	20		197.55	20-02-2020	वार्ड नं 64 निम्नत मियाला बेरा गोपी का बेरा में स्टेशन पेवमेंट सड़क का कार्य।			
21	5005-04-000-(01)	281.10	200.00	81.10	21		60.00	20-02-2020	राजीव नगर ए सी सी डी व अन्य गलीयों में उभरीकरण कार्य।			
22	5002-04-005-(01)	50.00	50.00	0.00	22		107.35	20-02-2020	जॉन उत्तर के वार्ड नं 64 में विभिन्न स्थानों पर स्टेशन पेवमेंट सी सी एवं इन्टरसीफिंग टर्मिनस लगाने का कार्य।			
23	5002-04-007-(01)	50.00	50.00	0.00	23		76.45	20-02-2020	महेवरी कॉलोनी आकासावाणी के पीछे स्टेशन पेवमेंट व सीवरों का कार्य।			
24	5002-03-010-(01)	100.00	100.00	0.00	24		64.35	20-02-2020	इमरतिया पाव समस्त क्षेत्र श्री अतिरिक्त दीप पावटा सी रोड मुख्य सड़क से अन्नापूर्णा रोडरी तक स्टेशन पेवमेंट का कार्य।			
	5002-03-011-(01)	50.00	30.00	20.00								
25	5002-04-002-(02)	10.00	10.00	0.00	25		5006-03-000-(01)	0.00	97.10	97.10	20-02-2020	Construction of Approach Road for IOCL & HPCL Land in khasra no. 3 gram Ujaljya
	5002-04-003-(08)	88.00	88.00	0.00								
26	5002-03-002-(01)	50.00	50.00	0.00	26	5005-03-000-(01)	0.00	32.60	172.80	20-02-2020	सीतली पोला से श्रवणाशिया रोड पर दुपान अनिल डिपना स्टोर से नैपूरल फेरा दुपान तक एचयू लम्पसुमिडि जीराहा के पास रोड रोड पर आसफेट लगाने का कार्य।	
27					27		37.00	20-02-2020	गड घाटी स्थित प्रकटा आभग में परसराम जी के मस्तर के गेट से गास जी के मकान तक स्टेशन पेवमेंट सड़क निर्माण कार्य।			
28	5002-03-003-(01)	50.00	50.00	0.00	28		41.30	20-02-2020	वार्ड नं 55 में सामरीधरण का कार्य।			
29					29		31.40	20-02-2020	पारसी बाजार शिखरद पन्थ जी के मकान से मन्थौर स्थित सड़क स्टेशन पेवमेंट व सीवरों का कार्य।			
30	5002-03-003-(01)	77.25	73.00	4.25	30		30.50	20-02-2020	वार्ड नं 01 में स्थित राम नगर में उभरीकरण का कार्य।			
31	5006-01-000-(12)	97.39	35.00	62.39	31		5006-01-000-(01)	0.00	35.60	35.00	20-02-2020	हालासुवा स्थित ज्यु कॉलोनी में विभिन्न गलियों के सी सी सड़क निर्माण कार्य।
32	5006-01-000-(12)	239.39	127.00	112.39	32		5006-01-000-(01)	0.00	127.00	127.00	20-02-2020	देववारी साहूच स्थित श्री शीतानी तक सड़क निर्माण कार्य।


(Handwritten signature)

33	5002-01-005-(01)	250.00	220.80	29.20	33	5005-01-000-(01)	0.00	220.80	220.80	20-02-2020	झालामण्ड स्थित युवाश्रमियों की डन्गी, छेतानगर, आर्दश नगर प्रथम, नारायण नगर, माता रानी पहियागी, ख.नं.72, मीरा विहार (ख.नं. 40) में सीवर लाईन से क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण कार्य।
34	5002-02-001-(01)	10.00	10.00	0.00	34	5006-02-000-(01)	67.75	17.35	522.45	20-02-2020	महेशपुर नगर में सीवर लाईन से क्षतिग्रस्त सड़कों पर ठामरीकरण का कार्य।
35	5002-02-003-(01)	20.00	20.00	0.00	35			27.20		20-02-2020	जसाहर नगर, शक्ति नगर, पुष्पा कॉलोनी, कुबेर नगर धीमावती स्कूल के पास सीवर लाईन से क्षतिग्रस्त सड़कों पर ठामरीकरण का कार्य।
36	5002-02-004-(01)	10.00	10.00	0.00	36			87.00		20-02-2020	विजय नगर, श्री रामनगर व अन्य नगरों में सीवर से क्षतिग्रस्त सड़क निर्माण कार्य।
37	5002-02-006-(01)	35.00	35.00	0.00	37			12.45		20-02-2020	गंवर लास धीमावती के मकान से राष्ट्र प्रजापत के मकान तक एवं श्री शेराराम जी विन्हाई के मकान से पीपली चौक तक सड़क निर्माण कार्य।
38	5002-02-008-(01)	25.00	25.00	0.00	38			6.35		20-02-2020	मानसरोवर स्कीम में सड़क निर्माण कार्य।
39	5002-02-009-(01)	10.00	10.00	0.00	39			80.00		20-02-2020	जोधपुर विकास प्राधिकरण के जौन परिसर में विभिन्न स्थानों पर स्टोन पेवमेंट का कार्य (वार्षिक अनुबन्ध)।
40	5002-02-010-(01)	25.00	25.00	0.00	40			40.00		20-02-2020	जोधपुर प्राधिकरण के जौन परिसर में विभिन्न स्थानों पर इन्टरलॉकिंग टाइल्स लगाने का कार्य (वार्षिक अनुबन्ध)।
41	5002-02-013-(01)	50.00	50.00	0.00	41			18.00		20-02-2020	साई बाबा मन्दिर के पीछे रूपनगर द्वितीय फेस नं. 3, 4, 5 में डम्पर सड़क का निर्माण कार्य।
42	5002-02-015-(01)	50.00	50.00	0.00	42			60.10		20-02-2020	एतार विहार, मेहेरल नगर से मेहराया गार्डन पास रोड तक सड़क निर्माण कार्य।
43	5002-02-016-(01)	10.00	10.00	0.00	43			106.25		20-02-2020	परिसर क्षेत्राधिकार में स्थित सड़कों के पंच परम्पत का वार्षिक अनुबन्ध कार्य।
	5002-02-017-(01)	200.00	200.00								
44	5006-02-000-(11)	110.00	109.75	0.25	44	5006-02-000-(01)	0.00	109.75	109.75	20-02-2020	पास रोड सवाईजी विधान से पीपली पीपलाह होते हुए पी.एच. ऑफिस तक सड़क सुधरीकरण का कार्य।
45	5002-02-016-(02)	10.00	4.40	5.60	45	5006-02-000(02)	0.00	4.40	4.40	20-02-2020	नेत्रहीन विकास संस्थान, धम्मता मेहेरल नगर के पास माता परम्पत कार्य।

निर्णय

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर का बजट पारित करने हेतु जोधपुर विकास प्राधिकरण की धारा 59 में "प्राधिकरण" (Authority) जोधपुर विकास प्राधिकरण सक्षम है। अतः बजट के पुनर्नियोजन के प्रस्ताव की स्वीकृति हेतु प्राधिकरण ही सक्षम है। अतः बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से एक लेखा शीर्षक से दूसरे लेखा शीर्षक में पुनर्नियोजन को स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 3 :: 93 कार्यों की A&F क्रमांक 38-39 दिनांक 02.05.12 को मुख्य लेखाधिकारी व निदेशक अभियांत्रिकी की जांच रिपोर्ट अनुसार सदिग्ध नहीं मानते हुए स्वीकृति का प्रस्ताव)



क्र सं	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।	93 कार्यों की A&F क्रमांक 38-39 दिनांक 02.05.12 को मुख्य लेखाधिकारी व निदेशक अभियांत्रिकी की जांच रिपोर्ट अनुसार संदिग्ध नहीं मानते हुए स्वीकृति का प्रस्ताव।

जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अपने आदेश क्रमांक 38-39 दिनांक 2.5.2012 द्वारा 93 विकास कार्यों की वित्तिय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जोन उत्तर में जारी की गई थी। जिसको की पूर्व में संदेहास्पद माना गया था। इस क्रम में कमेटी द्वारा निदेशक अभियांत्रिकी एवं मुख्य लेखाकाधिकारी जेडीए को आवश्यक जांच कर आगामी बैठक में पूर्ण तथ्यों के साथ रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया।


जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर की प्राधिकरण बैठक दिनांक 2 अगस्त 2019 को श्री बी. एल. कोठारी आई.ए.एस. संभागीय आयुक्त एवं अध्यक्ष जोधपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इसके बैठक कार्यवाही विवरण क्रमांक-बैठक/2019/933 दिनांक 27.08.19 के प्रस्ताव क्रमांक 7(2) 93 विकास कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति को जारी करते समय पत्रावली निदेशक वित्त की टिप्पणी के पश्चात् तत्कालीन आयुक्त एवं अध्यक्ष के हस्ताक्षर हैं तथा उनके द्वारा कोई विपरीत टिप्पणी नहीं की गई है अतः जांचकर्ता निदेशक अभियांत्रिकी एवं मुख्य लेखाधिकारी द्वारा उक्त तथ्यों का समावेश करते हुए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसके तथ्य इस प्रकार हैं-

प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु पत्रावली XEN से S.E/D.E. पश्चात् D.F. से J.D.C. महोदय के पास प्रेषित की जाती है एवं इसके पश्चात् J.D.C. महोदय की अनुशंषा/हस्ताक्षर के उपरान्त यह Chairman महोदय के पास अनुमोदन/हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत की जाती रही है। अनुमोदन हो जाने के उपरान्त प्रस्तावित A&F इस हेतु संधारित A&FS रजिस्टर में अंकित किये जाकर इन्हे D.E. के हस्ताक्षरों से जारी किया जाता है जिससे यह स्वीकृति जारी होकर सम्बन्धित Zone के XEN'S को निविदाओं हेतु भिजवाई जाती है।

इस प्रकरण में उपलब्ध रिकार्ड एवं तत्कालीन S.E. के स्पष्टीकरण से यह दृष्टीगत होता है कि-

1. सम्बन्धित XEN द्वारा नोटशीट में 93 कार्यों की A&F जारी किये जाने हेतु दिनांक 19.04.12 को प्रस्तावित किया गया तथा इसे SE/DE Mark कर भिजवाया गया।
2. दिनांक 20.04.12 को D.E. के रूप में श्री एम.एस.रावल जो तत्कालीन Director Engineering रहे हैं, ने हस्ताक्षर किये हैं तत् पश्चात् यह पत्रावली J.D.C. महोदय को प्रस्तुत की गई और लेखा शाखा की राय हेतु पत्रावली J.D.C. महोदय द्वारा For Opinion & Comments लिखा जाकर D.F. को भिजवाई गई इस पर 25.04.12 को J.D.C. महोदय के हस्ताक्षर हैं।
3. इसके पश्चात् Director Finance ने टिप्पणी की- "Sir we may ask to put up details of work regarding the Area whether these are non scheme work. if it is so Budget provision for the same for non scheme has been done by authority in its meeting of 23/4 then it may be decided accordingly"

उक्त टिप्पणी पर प्राधिकरण की बैठक दिनांक 02.08.19 में स्पष्ट लिखा गया है कि इसके बैठक कार्यवाही विवरण क्रमांक- बैठक/2019/933 दिनांक 27.08.19 के प्रस्ताव क्रमांक 7(2) 93 विकास कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति को जारी करते समय पत्रावली पर



निदेशक वित्त की टिप्पणी के पश्चात् आयुक्त एवं अध्यक्ष के हस्ताक्षर हैं तथा उनके द्वारा कोई विपरीत टिप्पणी नहीं की गई है अतः उपरोक्तानुसार Director Finance ने कोई विरोधाभाषी टिप्पणी नहीं की और पत्रावली D.F. के हस्ताक्षरों के पश्चात् 26.04.12 को J.D.C. महोदय के पास भिजवाई गई।

4. J.D.C. महोदय द्वारा दिनांक 26.04.12 को पत्रावली/नोटशीट हस्ताक्षर किये जाकर अनुमोदन हेतु Chairman को प्रस्तुत की गई।
5. पत्रावली पर Chairman द्वारा 27.04.12 को हस्ताक्षर किये गए इसके पश्चात् पत्रावली E.E. (North) को भिजवाई गई।
6. E.E. (North) द्वारा 30.04.12 को उक्त 93 कार्यों की A&F जारी किये जाने हेतु पत्रावली S.R.A.O. को 30.04.12 को प्रस्तुत की गई तथा S.R.A.O. द्वारा 30.04.12 को ही हस्ताक्षर कर D.E. को हस्ताक्षरार्थ भिजवाई गई।
7. D.E. द्वारा "Please speak" लिखकर यह पत्रावली S.R.A.O. के पास भिजवा दी गई।
8. इसके पश्चात् A&F Register में S.R.A.O. ने इस 93 कार्यों के प्रकरणों पर हस्ताक्षर किये जाने के उपरान्त Director Engineering ने हस्ताक्षर नहीं किये।
9. दिनांक 03.05.12 को Director Engineering के हस्ताक्षरों से जो यह 3014 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां जारी की गई थी, पर श्री रामलाल सियाग तत्कालीन S.E. एवं Link D.E. के हस्ताक्षरों से जारी कर दिया गया।

उपरोक्त तथ्यों से यह जानकारी प्राप्त होती है कि जब इन 93 कार्यों की स्वीकृति हेतु प्रकरण EX. EN Concern द्वारा अग्रेषित किये गए तो D.E. द्वारा वास्ते स्वीकृति यथावत ही J.D.C. महोदय को अग्रेषित किया गया अतः उस स्थिति तक प्रकरण में उनकी सहमति स्पष्ट प्रतीत होती है।

जब उनके द्वारा अग्रेषित 93 कार्यों की A&F J.D.C. महोदय द्वारा डी.एफ की राय पश्चात् स्वयं के हस्ताक्षरों से Chairman के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की गई एवं अनुमोदन होकर जारी किये जाने की प्रक्रिया में उनके द्वारा S.R.A.O. से Please speak लिखा जाना मात्र संदेह का कारण नहीं प्रतीत होता है।

93 कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक 38-39 दिनांक 02.05.12 को जारी किये जाने पर श्री रामलाल सियाग तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के हस्ताक्षर होने के कारण श्री रामलाल सियाग को निदेशक अभियांत्रिकी कार्यालय के पत्रांक 1685 दिनांक 15.12.17 द्वारा उनके हस्ताक्षर होने बाबत् पत्र जारी कर पूछा गया। उनके द्वारा इसका प्रतिउत्तर दिया गया है कि "उपयुक्त विषय में निवेदन है कि क्रमांक 38-39 दिनांक 02.05.2012 के राशि 30.14 करोड़ पर प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति मेरे द्वारा जारी नहीं की गई है। मेरे द्वारा क्रमांक संख्या 38-39 कुल 93 कार्यों के जाँच नम्बर जारी करने पर मेरे हस्ताक्षर हैं। निदेशक अभियांत्रिकी पर मेरे हस्ताक्षर लिंक ऑफिसर के रूप में हो सकते हैं।

तकमीने बनाने से लेकर प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति डिविजन से अधिशाषी अभियंता द्वारा संपूर्ण कार्यवाही की जाती है।

पत्रावली पर टिप्पणी के अनुसार उक्त प्रकरण में पत्रावली के तथ्यों से स्पष्ट है कि उक्त 93 कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की पत्रावली नियमानुसार सक्षम स्तर आयुक्त एवं अध्यक्ष जो.वि.प्रा तक स्वीकृति है तथा पत्रावली में निदेशक वित्त के गैर योजना क्षेत्र हेतु बजट प्रावधान की टिप्पणी की गई थी। बजट के संबंध में बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2012-13 का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि वित्तीय वर्ष 2012-13 में गैर योजना मद में रूपये 483.18 करोड़ का प्रावधान था इस पर सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष 2012-13 में कुल वास्तविक व्यय 199.23 करोड़ हुआ। निदेशक (वित्त) की उक्त टिप्पणी के पश्चात् आयुक्त के हस्ताक्षर के पश्चात्



विधिवत रूप से पत्रावली अध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत हुई तथा उनके हस्ताक्षर/अनुमोदन के पश्चात् पत्रावली अधिशाषी अभियंता (उत्तर) को लौटा दी गई। आयुक्त एवं अध्यक्ष तक कोई विपरीत टिप्पणी अंकित नहीं होना ही स्वतः सक्षम स्वीकृति मानी जाती है। इस तथ्य को प्राधिकरण बैठक दिनांक 2 अगस्त 2019 में भी माना गया है।

सक्षम स्तर पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का अनुमोदन के पश्चात् औपचारिक रूप से लिखित में जोब नम्बर अंकित कर इसे जारी करने हेतु निदेशक अभियांत्रिकी को अधिकृत किया गया है। उक्त प्रकरण में इस A&F को निदेशक अभियांत्रिकी के स्थान पर लिंक अधिकारी के रूप में अधीक्षण अभियंता के हस्ताक्षर से जारी की गई है जिसको संदिग्ध नहीं माना जा सकता।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट हो जाता है कि प्राधिकरण बैठक दिनांक 2 अगस्त 2019 में दिये गये निर्देशों की पालना में उक्त 93 विकास कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति को संदिग्ध नहीं माना जा सकता है।

उक्त जाँच रिपोर्ट को जोधपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक में अनुमोदन करवाये जाने हेतु लिखा गया है परन्तु आयुक्त महोदय की पैरा संख्या 37 में टिप्पणी अनुसार आगामी प्राधिकरण की बैठक में पालना प्रस्तुत की जानी है।

अतः आगामी प्राधिकरण की बैठक में सक्षम अनुमोदन व स्वीकृति हेतु प्रकरण प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्ताव में वर्णित जांच रिपोर्ट की एक एक प्रति समस्त सदस्यों को दी जाकर प्रकरण आगामी प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 4 :: ले-आउट अनुमोदन हेतु प्राप्त प्रकरणों में राजस्व रास्तों/ कटाण मार्गों का निर्धारण करने बाबत।


प्राधिकरण में ले-आउट प्लान अनुमोदन हेतु प्राप्त प्रकरणों में खसरा मानचित्र अनुसार आवेदित भूमि से लगते हुए राजस्व रास्ता/कटाण मार्ग होता है, जिससे आवेदित भूमि को पहुँच मार्ग उपलब्ध होता है। उक्त राजस्व रास्ता/कटाण मार्गों का मार्गाधिकार मास्टर प्लान में निर्धारित नहीं होता है तथा वर्तमान में उपरोक्त राजस्व रास्ता/कटाण मार्गों का मार्गाधिकार सड़क की महत्ता व आस-पास के विकास को दृष्टिगत रखते हुए निर्धारित किया जाता है। अतः प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किये गये कमिटेन्ट्स व आबादी क्षेत्र में उपलब्ध चौड़ाई के अतिरिक्त समस्त प्रकरणों में एकरूपता बनाये रखने हेतु राजस्व ग्राम से अन्य राजस्व ग्राम अथवा राजस्व ग्राम से शहर को जोड़ने वाले राजस्व रास्तों/कटाण मार्गों की न्यूनतम चौड़ाई 100 फीट निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार एजेण्डा समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण को कार्यकारी समिति की अनुशंसा के साथ आगामी प्राधिकरण बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

अतः कार्यकारी समिति में लिये गये निर्णय अनुसार प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।



निर्णय

बैठक में विचार विमर्श के दौरान अवगत कराया गया कि उपरोक्त प्रस्ताव में वर्णित निर्णय वास्तव में प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 20 फरवरी, 2020 में अंकित निर्णय है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 20 फरवरी, 2020 में लिये गये निर्णय का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 5 :: वार्ड नं. 35 मे स्थित माणक चौक, तुरजी का झालरा, चौहानजी का नोहरा, लायकन मस्जिद से किल्लीखान तक हैरिटेज पाथ निर्माण कार्य।

क्र सं	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे में अभिशंभा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।	प्राधिकरण के जोन मुख्यालय द्वारा वार्ड नं. 35 मे स्थित माणक चौक, तुरजी का झालरा, चौहानजी का नोहरा, लायकन मस्जिद से किल्लीखान तक हैरिटेज पाथ निर्माण कार्य के निर्णय हेतु।

प्राधिकरण के जोन मुख्यालय द्वारा वार्ड नं. 35 मे स्थित माणक चौक, तुरजी का झालरा, चौहानजी का नोहरा, लायकन मस्जिद से किल्लीखान तक हैरिटेज पाथ निर्माण कार्य का कार्यादेश जारी किया जा चुका था। उक्त कार्य आज दिनांक तक शुरू नहीं हो सका है। उक्त कार्य की समयावधि भी पूर्ण हो चुकी है।

दिनांक 02 अगस्त 2019 को हुई प्राधिकरण बैठक के प्रस्ताव सं. 08 मे लिये निर्णय के क्रम में जिन कार्यों के कार्यस्थल पर शिलापट्टिका लगी हुई है उनकी सूची आगामी बैठक मे प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था उक्त प्रकरण प्राधिकरण की बैठक में उपरोक्त निर्णय के अन्तर्गत वास्ते निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श के दौरान यह महसूस किया गया प्रकरण में काफी तथ्य अंकित होने से रह गये है। अतः बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण संपूर्ण तथ्यों के साथ आगामी प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 6 :: जोधपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्राधिकार में विज्ञापन की दरों को नगर निगम जोधपुर द्वारा बनाये गये नियमों को अवधारित (Adopt) करने बाबत।

क्र सं	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे में अभिशंभा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।	नियमों एवं दरों को अवधारित (Adopt) करने बाबत।

जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर द्वारा राजस्व वृद्धि हेतु विज्ञापन लगाये जाने बाबत प्रक्रिया एवं दरों के निर्धारण करने के लिये नगर निगम जोधपुर द्वारा प्रचलित नियमों एवं



निर्धारित दरों को ही जोधपुर विकास प्राधिकरण में अवधारित (Adopt) करने बाबत प्रस्ताव प्रस्तुत है। निगम द्वारा जारी नियमों में जहां-जहां पर नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पालिका का उल्लेख है, वहां-वहां पर जोधपुर विकास प्राधिकरण उल्लेखित रहेगा। जोधपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्राधीन समस्त यूनिपोल्स एवं अन्य समस्त स्थानों पर विज्ञापन प्राधिकरण द्वारा लगाये जायेंगे। नगर निगम एक्ट "THE RAJASTHAN MUNICIPALITIES ADVERTISEMENT REGULATION OF DISPLAY OF COMMERCIALS AND NON-COMMERCIALS USING OUTDOOR MEDIA DEVICES RULES, 2018" के अनुरूप शर्तें एवं नियम प्राधिकरण में भी लागू रहेंगे।

प्रस्ताव प्राधिकरण बैठक में निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श सर्व सम्मति से इस संबंध में जोधपुर विकास प्राधिकरण के विनियम तैयार कर आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 7 :: घंटाघर से घोडा-घाटी किला रोड तक हेरिटेज पाथ का निर्माण कार्य

क्र सं	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।	प्राधिकरण के जोन मुख्यालय द्वारा घंटाघर से घोडा-घाटी किला रोड तक हेरिटेज पाथ का निर्माण कार्य के निर्णय हेतु।

प्राधिकरण के जोन मुख्यालय द्वारा घंटाघर से घोडा-घाटी किला रोड तक हेरिटेज पाथ का निर्माण कार्य का कार्यदेश जारी किया जा चुका था। उक्त कार्य आज दिनांक तक शुरु नहीं हो सका है। उक्त कार्य की समयावधि भी पूर्ण हो चुकी है।

दिनांक 02 अगस्त 2019 को हुई प्राधिकरण बैठक के प्रस्ताव सं. 08 में लिये निर्णय के क्रम में जिन कार्यों के कार्यस्थल पर शिलापट्टिका लगी हुई है उनकी सूची आगामी बैठक में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था उक्त प्रकरण प्राधिकरण की बैठक में उपरोक्त निर्णय के अन्तर्गत वास्ते निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श के दौरान यह महसूस किया गया प्रकरण में काफी तथ्य अंकित होने से रह गये हैं। अतः बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण संपूर्ण तथ्यों के साथ आगामी प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 8 :: दैनिक प्रतिनिधी समाचार -पत्र के विज्ञापन पर दर निर्धारण बाबत।

क्र.सं.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के सम्बन्ध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी के एजेण्डा के सम्बन्ध में अभिशंषा/प्रस्ताव
01	पत्रावली में किसी प्रकार का तथ्य छुपाया नहीं गया है।	दर के संशोधन का प्रस्ताव हैं।

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की दिनांक 12 मार्च 2016 की बैठक के प्रस्ताव संख्या 7 में दैनिक प्रतिनिधी समाचार पत्र के विज्ञापन की दर जोधपुर संभाग के लिये रु 150/-Per.Sq.C.M में प्रस्ताव लिया गया था।



प्रस्ताव में बाद विमर्श के निर्णय लिया गया कि प्रकरण को प्रचलित राजकीय DPR एवं नियमों के परिप्रेक्ष में परीक्षण कर उचित निर्णय बाबत् राज्य सरकार को भिजवाया जाये।

इस क्रम में नगरीय विकास विभाग को पत्र संख्या 54 दिनांक 14.07.16 द्वारा आवश्यक स्वीकृति बाबत् पत्र प्रेषित किया गया। इसके क्रम में नगरीय विकास विभाग जयपुर के पत्रांक प - 1 (32)नविवि/जोधपुर/2015 दिनांक 21.07.16 द्वारा निर्देशित किया गया कि विज्ञापन दर का अनुमोदन राज्य सरकार से अपेक्षित नहीं होने से प्राधिकरण स्तर पर नियमानुसार निर्णय की कार्यवाही करे।

अतः दैनिक प्रतिनिधि समाचार पत्र की जोधपुर संभाग के लिये निम्नानुसार प्रस्ताव कार्यकारी समिति के सम्मुख विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

- जोधपुर संभाग में निविदा प्रकाशन दर रु 150/-Per.Sq.C.M
- सजावटी विज्ञापन पर 15% छूट के साथ देय।
- गजट नोटिफिकेशन, आम सूचना, कार्यालय विज्ञापित, अवाप्ति नोटिस के प्रकाशन का भुगतान DPR/DIPR दरों पर होगा।
- GST/आयकर एवं अन्य कटौतियाँ नियमानुसार बिल से की जायेगी।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन कर आगामी प्राधिकरण बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

अतः कार्यकारी समिति में लिये गये निर्णय अनुसार प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श के दौरान अवगत कराया गया कि उपरोक्त प्रस्ताव में वर्णित निर्णय वास्तव में प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 20 फरवरी, 2020 में अंकित निर्णय है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 20 फरवरी, 2020 में लिये गये निर्णय का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 9 :: जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में निदेशक, नगर अयोजना के अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक स्तर के समकक्ष पद में परिवर्तित किये गये पद को नगर नियोजन विभाग की कैडर स्ट्रेन्थ में सम्मिलित करने बाबत्।

क्र.सं.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के सम्बन्ध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी के एजेण्डा के सम्बन्ध में अभिशंषा/प्रस्ताव
01.	यह घोषणा की जाती है कि राज्य आदेश दिनांक 26.11.2019 की पालना में मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर के पत्र दिनांक 30.12.2019 के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार घोषणा की जाती है।	एजेण्डा प्राधिकरण की बैठक में रखने की अभिशंषा की जाती है।



श्रीमान शासन संयुक्त सचिव-द्वितीय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक प.2 (6) नविवि/II/2012/पार्ट दिनांक 26.11.2019 के अन्तर्गत जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में स्वीकृत निदेशक नगर आयोजना के पद को अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक स्तर के समकक्ष पद में परिवर्तित किया जा चुका है।

मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर द्वारा पत्र क्रमांक टी.पी.आर 9112.09. 98/11666 दिनांक 20.12.2019 प्रेषित कर राज्य सरकार के उपरोक्त आदेश दिनांक 26.11. 2019 की अनुपालना में निदेशक नगर आयोजना, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के पद को अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक स्तर के समकक्ष पद कर नगर नियोजन विभाग, की कैंडर स्ट्रेन्थ में सम्मिलित करने हेतु प्राधिकरण की सहमति नगरीय विकास विभाग को प्रेषित करने हेतु लिखा गया है, ताकि उपरोक्त पद की आगामी डि.पी.सी हेतु विभागीय कैंडर स्ट्रेन्थ में गणना की जाकर पदोन्नति एवं नियमित पदस्थापन की कार्यवाही की जा सके।

अतः उक्तानुसार प्रकरण कार्यकारी समिति की आगामी बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि उपरोक्त प्रस्तावानुसार निदेशक नगर आयोजना, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के पद को अतिरिक्त नगर नियोजक स्तर के समकक्ष पद कर नगर नियोजन विभाग की कैंडर स्ट्रेन्थ में सम्मिलित करने की अनुशंसा के साथ प्रकरण प्राधिकरण की आगामी बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जावे।

अतः कार्यकारी समिति में लिये गये निर्णय अनुसार प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श के दौरान अवगत कराया गया कि उपरोक्त प्रस्ताव में वर्णित निर्णय वास्तव में प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 20 फरवरी, 2020 में अंकित निर्णय है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 20 फरवरी, 2020 में लिये गये निर्णय का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 10 :: जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में दो नये वाहन (स्कॉर्पियो एस-11 एवं इनोवा क्रिस्टा जेड) क्रय कार्यवाही एवं कार्यान्वयन स्वीकृति के प्रस्ताव का अनुमोदन के सम्बन्ध में।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के सम्बन्ध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी के एजेण्डा के सम्बन्ध में अभिशंका/प्रस्ताव
01	पत्रावली- FTS No. 96474 and 11656	प्राधिकरण के पत्रांक जोविप्रा/पूल शाखा/461, दिनांक 01/10/2019 द्वारा श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान को पत्र प्रेषित कर प्राधिकरण के कार्यालय उपयोग एवं क्षेत्राधिकार में निरीक्षण कर प्रभावी प्रशासनिक नियन्त्रण एवं समन्वय हेतु 2 वाहनों की नवीन क्रय की आवश्यकता व्यक्त करते हुए स्वीकृति चाही गई, जिसके क्रम में संयुक्त शासन सचिव द्वितीय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार ने अपने पत्रांक प 8 (22)नविवि/1/2016 दिनांक 21. 10.2019 द्वारा उक्त दो नवीन वाहनों की सशर्त क्रय स्वीकृति जारी की। उक्त शर्तों के अनुसार :-



		प्राधिकरण 2 वाहन क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में बजट प्रावधान/पुनर्वियोजन की व्यवस्था करें। वाहन क्रय हेतु आवश्यक कार्यवाही का अनुमोदन कार्यकारी समिति (संचालक मण्डल) में करे।
--	--	--

हस्तगत प्रकरण में जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा दो नवीन वाहन क्रय करने की स्वीकृति हेतु श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर को जरिये पत्रांक जोविप्रा/पूल शाखा/461, दिनांक 01/10/2019 (परिशिष्ट-1) के द्वारा प्राधिकरण के कार्यालय उपयोग एवं क्षेत्राधिकार में निरीक्षण कर प्रभावी प्रशासनिक नियन्त्रण एवं समन्वय हेतु स्कॉर्पियो एस-11 एवं इनोवा क्रिस्टा जेड क्रय किये जाने की स्वीकृति चाही गई। नगरीय विकास विभाग द्वारा उल्लेखित वाहनों के क्रय हेतु प्रस्ताव की छायाप्रति, बजट प्रावधान एवं वित्त विभाग के परिपत्र की सूचना चाहे जाने पर प्राधिकरण के पत्रांक जोविप्रा/पूल शाखा/2019/486, दिनांक 10 अक्टूबर, 2019 (परिशिष्ट-2) द्वारा आगामी कार्यकारी समिति एवं प्राधिकरण की बैठक में अनुमोदन की प्रत्याशा एवं प्राधिकरण बैठक में बजट पारित/संशोधित कर लिये जाने की सैद्धांतिक सहमति पर उक्त वाहनों की क्रय की स्वीकृति जारी किये जाने का निवेदन किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में वांछित स्वीकृति श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव द्वितीय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार ने अपने पत्रांक प 8 (22)नविवि/1/2016 दिनांक 21.10.2019 (परिशिष्ट-3) द्वारा उक्त दो नवीन वाहनों की सशर्त क्रय स्वीकृति जारी की है। (सुलभ संदर्भ हेतु उक्त पत्रांक संलग्न है)

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण को कार्यकारी समिति की अनुशंषा के साथ आगामी प्राधिकरण बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

अतः उपरोक्त स्वीकृति में वर्णित शर्तों के अनुसार उक्त दो वाहनों (1. Scorpio/S-11/2.2WD/BS-IV/7 Seater, 2. Innova Crysta-Z (MT)TV/7 Seater) के क्रय कार्यवाही के अनुमोदन एवं कार्यान्वयन स्वीकृति हेतु प्रकरण अवलोकनार्थ एवं उचित निर्णयार्थ प्राधिकरण की बैठक के समक्ष प्रस्तुत है।

अतः कार्यकारी समिति में लिये गये निर्णय अनुसार प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श के दौरान अवगत कराया गया कि उपरोक्त प्रस्ताव में वर्णित निर्णय वास्तव में प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 20 फरवरी, 2020 में अंकित निर्णय है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 20 फरवरी, 2020 में लिये गये निर्णय का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 11 :: एयरपोर्ट से सर्किट हाउस तक नवीन डिवाइडर लगाने के कार्य के संबंध में निर्णय बाबत।

क्र. सं.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संमंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।	एयरपोर्ट से सर्किट हाउस तक नवीन डिवाइडर लगाने के कार्य के संबंध में निर्णय बाबत।



उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि जोधपुर विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 02/08/2019 के तहत जारी बैठक कार्यवाही विवरण क्रमांक बैठक 2019/933 दिनांक 27/08/2019 के एजेन्डा प्रस्ताव संख्या 8 में हुए निर्णय के संबंध में विस्तृत विवरण निम्नानुसार है।

1. कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 7/12/2019 के द्वारा राशि 315.80 की प्रदत्त है।
2. मैसर्स सायर ट्रेडर्स को राशि 313.96 लाख का कार्यादेश दिनांक 25/09/2018 को जारी किया गया।
3. कार्य की प्रारम्भ तिथि 05/10/2018 व समाप्ति तिथि 04/04/2020 है।
4. कार्य का शिलान्यास तत्कालीन अध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 28/09/2018 को किया गया।
5. संवेदक मैसर्स सायर ट्रेडर्स के द्वारा पत्र दिनांक 07/02/2019 से सूचित किया गया कि उसके द्वारा एयरपोर्ट के सामने से झालिया हटा कर जेडीए परिसर में रखवा दी गयी है तथा स्पेशल स्टील शटरिंग का निर्माण व सीमेन्ट, स्टील खरीदा जा चुका है जिस पर 25.00 लाख व्यय हो चुका है तथा जेडीए द्वारा मोकें पर कार्य प्रारम्भ नहीं कराया जा रहा है जिसके सन्दर्भ में पत्रावली के पेज सं.62 से 72 के अनुसार लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं करने हेतु निर्देशित किया गया।
6. कार्य मोकें पर प्रारम्भ नहीं होने के कारण संवेदक मैसर्स सायर ट्रेडर्स द्वारा लीगल नोटिस जरिए एडवोकेट दिनांक 25/03/2019 को प्राप्त हुआ। उक्त नोटिस में उसके द्वारा कार्य प्रारम्भ करने के लिए की गई पूर्व व्यवस्था के तहत 63,34,740/- का व्यय होना बताया गया। तथा कार्य होने की दशा में होने वाले प्रोफिट 31,39,664/- बताया गया। इस प्रकार 94,92,904/- का निर्माण पूर्व व्यय व प्रोफिट की मांग की गई। जिसके सन्दर्भ में पत्रावली के पेज सं.81 के अनुसार लोकसभा चुनाव 2019 की आदर्श आचार संहिता समाप्ति के पश्चात् प्रकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।
7. संवेदक द्वारा दिनांक 27/05/2019 का पत्र प्रेषित किया गया तथा कार्य प्रारम्भ करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया। जिसके सन्दर्भ में पत्रावली के पेज सं.83 से 98 के अनुसार प्रकरण प्राधिकरण बैठक में रखे जाने का निर्देश दिया गया।
8. प्राधिकरण की दिनांक 02/08/2019 को हुई बैठक में प्रकरण रखा गया। बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 27/08/2019 में एजेन्डा सं.08 में निर्णय हुआ कि जिस कार्य का शिलान्यास पत्थर लगा हुआ उस कार्य की सूची बनाकर पत्रावली आगामी बैठक में प्रस्तुत करे तथा निर्णय की अनुपालना में पत्र क्रमांक अ.अ. /पूर्व/2019-20/829-30 दिनांक 30/09/2019 द्वारा संवेदक को कार्य प्रारम्भ प्रारम्भ नहीं करने हेतु सूचित किया गया। वर्तमान में कार्य प्रारम्भ नहीं कराया गया है।

अतः प्राधिकरण बैठक में उपरोक्त तथ्यों को मद्देनजर निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

उक्त कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं किया गया है तथा कार्य पूर्ण करने की तिथि (दिनांक 4 अप्रैल, 2020) भी अति निकट है। अतः बैठक में वाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि इस कार्य की वर्तमान में आवश्यकता एवं औचित्य का परीक्षण प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति के परिपेक्ष्य में किया जाकर रिपोर्ट आगामी प्राधिकरण बैठक में प्रस्तुत करने के लिए निम्न अनुसार समिति का गठन किया जाता है:-



- 1- सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर – अध्यक्ष
- 2- निदेशक-वित्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर – सदस्य
- 3- निदेशक-अभियांत्रिकी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर – सदस्य
- 4- संबंधित जोन अधिशाषी अभियन्ता, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर – सदस्य सचिव

उक्त समिति आगामी प्राधिकरण बैठक में उपरोक्त अनुसार रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

प्रस्ताव संख्या 12 :: Work of road widening and civil work of JDA circle to Bhaskar circle jodhpur के संबंध में निर्णय बाबत।

क्र सं	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संमंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।	Work of road widening and civil work of JDA circle to Bhaskar jodhpur के संबंध में निर्णय बाबत।


उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि जोधपुर विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 02/08/2019 के तहत जारी बैठक कार्यवाही विवरण क्रमांक बैठक 2019/933 दिनांक 27/08/2019 के एजेण्डा प्रस्ताव संख्या 8 में हुए निर्णय के संबंध में विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-1. कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक

- 7/12/2019 के द्वारा राशि 284.35 की प्रदत्त है।
 2. मैसर्स जय भारत कन्स कम्पनी को राशि 234.80 लाख का कार्यादेश दिनांक 28/08/2018 को जारी किया गया।
 3. कार्य की प्रारम्भ तिथि 6/09/2018 व समाप्ति तिथि 6/09/2019 है।
 4. कार्य का शिलान्यास तत्कालीन अध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 28/09/2018 को किया गया। परन्तु भौतिक रूप से कार्य प्रारम्भ नहीं कराया गया।
 5. प्राधिकरण की दिनांक 02/08/2019 को हुई बैठक में प्रकरण रखा गया। बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 27/08/2019 में एजेण्डा सं.08 में निर्णय हुआ कि जिस कार्य का शिलान्यास पत्थर लगा हुआ उस कार्यों की सूची बनाकर पत्रावली आगामी बैठक में प्रस्तुत करे।
 6. मौके पर कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है तथा संवेदक द्वारा कार्य प्रारम्भ नहीं करने की सहमति प्रदान की गई है।
- अतः प्राधिकरण बैठक में उपरोक्त तथ्यों को मद्देनजर निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

उक्त कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया था तथा कार्य पूर्ण करने की तिथि (दिनांक 6 सितम्बर, 2019) व्यतीत हो चुकी है। अतः बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि उपरोक्त प्रस्ताव संख्या 11 में गठित समिति इस कार्य की वर्तमान में आवश्यकता एवं औचित्य का परीक्षण प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति के परिपेक्ष में कर रिपोर्ट आगामी प्राधिकरण बैठक में प्रस्तुत करेगी।

प्रस्ताव संख्या 13 :: प्राधिकरण में भवन निर्माण अनुमोदन हेतु प्राप्त प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के संबंध में।



वर्तमान में प्राधिकरण में भवन निर्माण अनुज्ञा से सम्बन्धित समस्त प्रकरण राज्य सरकार के निर्देशानुसार ऑनलाईन माध्यम से प्राप्त किये जा रहे हैं। राज्य सरकार के BPAS (Online Building Plan Approval System) पोर्टल पर प्राप्त प्रकरणों में वर्तमान में कार्य विभाजन निम्नानुसार हैं—

- 250 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक के आवासीय भूखण्ड, जी+1 तथा 8 मीटर उँचाई तक के प्रकरण सहायक नगर नियोजक स्तर पर
- 250 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक के जी+1 से अधिक उँचाई के आवासीय भूखण्ड, समस्त गैर आवासीय तथा 250 वर्गमीटर क्षेत्रफल से अधिक समस्त प्रकार के भूखण्डों के प्रकरण भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (बी.पी.) द्वारा निस्तारित किये जा रहे हैं।

प्राधिकरण में उक्तानुसार 250 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक के जी+1 से अधिक उँचाई के आवासीय भूखण्ड, समस्त गैर आवासीय तथा 250 वर्गमीटर क्षेत्रफल से अधिक समस्त प्रकार के भूखण्डों के प्रकरण भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (बी.पी.) के स्तर पर निस्तारित होने से उक्त प्रकार के प्रकरण समय पर निस्तारित नहीं होते हैं एवं अनावश्यक विलम्ब होता है।

अतः भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (बी.पी.) की बैठक दिनांक 06.02.2020 में चर्चानुसार एवं अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रिया अनुसार (प्रति संलग्न) भवन निर्माण अनुज्ञा से सम्बन्धित प्रकरणों का निस्तारण निम्नानुसार किया जाना प्रस्तावित है —

- 250 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक के आवासीय भूखण्डों, जी+1 तथा 8 मीटर उँचाई तक के भवन मानचित्र अनुमोदन के प्रकरणों का निस्तारण सहायक नगर नियोजक स्तर तक।
- उपरोक्त के अतिरिक्त 500 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक के समस्त स्वतन्त्र आवासीय भूखण्डों के भवन मानचित्र अनुमोदन के प्रकरणों का निस्तारण उप नगर नियोजक स्तर तक।

उपरोक्तानुसार एजेण्डा समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श के सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि 500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के स्वतंत्र आवासीय भूखण्डों पर भवन निर्माण स्वीकृति हेतु उप नगर नियोजक को अधिकृत किये जाने हेतु कार्यकारी समिति की अभिशंषा के साथ आगामी प्राधिकरण की बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जावे।

अतः कार्यकारी समिति में लिये गये निर्णय अनुसार प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श के दौरान अवगत कराया गया कि उपरोक्त प्रस्ताव में वर्णित निर्णय वास्तव में प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 20 फरवरी, 2020 में अंकित निर्णय है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 20 फरवरी, 2020 में लिये गये निर्णय का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।



प्रस्ताव संख्या 14 :: Development of recreation park at surपुरा dam , (phase 1st) के संबंध में।

क्र.स	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।	प्राधिकरण के जोन उत्तर द्वारा स्वीकृति की प्रत्याशा में जारी ई-निविदा के अनुमोदन व प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव।

जिला कलक्टर महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 27.11.19 को आयोजित विकास कार्य की समीक्षा बैठक में प्राप्त निर्देशानुसार कार्यकारी समिति की स्वीकृति की प्रत्याशा में प्राधिकरण के जोन उत्तर द्वारा प्रस्तावित कार्य-“Development of recreation park at surपुरा dam, jodhpur” हेतु ई-निविदा क्रमांक-उत्तर/08/2019-20, दिनांक 08.12.19 जारी की गई थी जिसकी अनुमानित लागत राशि रुपये 255.00 लाख है।

अतः आगामी कार्यकारी समिति की बैठक में सक्षम अनुमोदन व स्वीकृति हेतु प्रकरण प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण कार्यकारी समिति की अभिशंषा के साथ प्रकरण को आगामी प्राधिकरण की बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

अतः कार्यकारी समिति में लिये गये निर्णय अनुसार प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श के दौरान अवगत कराया गया कि उपरोक्त प्रस्ताव में वर्णित निर्णय वास्तव में प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 20 फरवरी, 2020 में अंकित निर्णय है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 20 फरवरी, 2020 में लिये गये निर्णय का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 15 :: प्राधिकरण द्वारा विभिन्न विकास कार्य हेतु कार्यकारी समिति की प्रत्याशा में जारी की गई प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की पुष्टि हेतु एजेण्डा।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार एजेण्डा में किसी प्रकार का तथ्य छिपाया नहीं गया है।	प्राधिकरण द्वारा विभिन्न विकास कार्य हेतु कार्यकारी समिति की प्रत्याशा में जारी की गई प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की पुष्टि हेतु एजेण्डा

उपरोक्त विषयान्तर्गत कार्यकारी समिति की आगामी बैठक हेतु प्राधिकरण द्वारा विभिन्न विकास कार्य हेतु यथा योजना क्षेत्र एवं गैर योजना क्षेत्र में कार्य करवाने, कन्सलटेन्सी कार्य-सर्वे एवं डीपीआर तैयार करवाने, शहर सौन्दर्यकरण, राज्य सरकार के बजट घोषणा कार्य की क्रियान्विति, डिपोजिट मद में अंशदान, प्राधिकरण कार्यालय संचालन संबंधी कार्य एवं



जोधपुर जिला कलक्टर की समीक्षा बैठक के निर्देशों के क्रम में कार्यकारी समिति की प्रत्याशा में जारी की गई संलग्न सूची अनुसार प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की पुष्टि का प्रकरण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ एवं स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है। सूचि निम्न प्रकार है।

क्र.सं.	कार्य का नाम	प्रशा. एवं वित्तीय स्वीकृत राशि (लाखों में)	प्रशा. एवं वित्तीय जोव संख्या
1	प्राधिकरण कार्यालय में पुराने टूटे हुए फर्नीचर की मरम्मत का कार्य	1.99	58/2019-20
2	ए4 व एफ.एस. रिम की अन्तरिम व्यवस्था करने बाबत।	0.51	59
3	प्राधिकरण के लेखों का दोहरा लेखा प्रणाली से लेखांकन करवाने का कार्य	15.00	61
4	अशोक उद्यान में फुटपाथ की टाइल्स मरम्मत एवं अन्य विकास कार्य	1.81	62
5	प्राधिकरण के जोन दक्षिण में जोनल प्लान सेक्टर प्लान तैयार करने का कार्य	187.24	64
6	वार्ड सं. 62 भाटियों का बास सुथारों तथा सांखलो का बास कीर्ति नगर अन्नासागर गली नं. 1, 3 पूंजला नाडी अन्नासागर, मेघवालों का बास, बावडी बेरा, बोडी वाल जाव, बोडी वाला बेरा इत्यादि में सडक निर्माण कार्य	252.60	65
7	पंडित दीनदयाल उपाध्याय विहार खसरा नं. 60/1 एवं 243/63 गांव आंगणवा में 11 केवी लाईन, एलटी लाईन, 11/0.4 केवी सब स्टेशन एवं स्ट्रीट लाईट का कार्य	60.00	82
8	विवेक विहार योजना में स्थित कन्वेंशन सेन्टर के आस-पास सडको का निर्माण कार्य	72.65	84
9	विवेक विहार योजना सेक्टर एम.एन. व ओ में शेष सडको का निर्माण कार्य	103.75	85
10	बरकतुल्ला खां स्टेडियम के खेल मैदान की लोन को विकसित करना	9.51	123
11	बरकतुल्ला खां स्टेडियम के खेल मैदान की लोन कंटिंग मशीन, क्रिकेट प्रेक्टिस नेट व बाउण्ड्री रोप सप्लाई का कार्य	6.19	124
12	आयुक्त महोदय के लिए नई कुर्सी खरीद करने के संबंध में।	0.17	126
13	जोधपुर विकास प्राधिकरण में वर्ष 2019-20 और वर्ष 2020-21 के लिए विभिन्न शाखाओं में कम्प्युटर ऑपरेटर उपलब्ध कराने का कार्य	115.00	127
14	जोधपुर विकास प्राधिकरण में विभिन्न स्थानों पर जेडीए परिसर, मानसागर पार्क, सम्राट अशोक उद्यान और अन्य स्थानों हेतु सुरक्षा गार्ड की आपूर्ति	67.00	128
15	जोधपुर विकास प्राधिकरण में विभिन्न प्रकार के कार्मिकों की संविदा पर आपूर्ति बाबत वर्ष 2019-20 बाबत	106.68	134
16	न्यास भवन (कैम्पस कार्यालय) में मरम्मत एवं अन्य विकास कार्य	10.00	137
17	न्यास भवन (कैम्पस कार्यालय) में फर्नीचर का कार्य	1.30	138
18	जेडीए कार्यालय परिसर में टॉयलेट ब्लॉक का निर्माण कार्य	25.00	140

(Handwritten Signature)

19	मण्डलनाथ पालडी खिचियान योजना क्षेत्र में (प्रथम फेज) 11 केवी लाईन, एलटी लाईन, 11/0.4 केवी सब स्टेशन एवं स्ट्रीट लाईट का कार्य	30.00	143
20	Desktop computer. Printer/scanner, MFP Laser Printer इत्यादि क्रय करने का कार्य	10.00	146
21	नवीन वाहन स्कॉपियो एस-11/2WD/BS-N/7 cresta-2(MT)TV/7 seater क्रय करने का कार्य	45.00	147
22	Construction of Toilet, Road, Parking & Remaning work of Open Air Theater at Ashok Udhyan (Phase-II)	110.55	148
23	मास्टर डवलमेन्ट प्लान 2031 (प्रारूप) पुस्तिका मय मानचित्र की प्रिन्ट कराने का कार्य	1.50	149
24	विवेक विहार योजना में बबूल एव झाड़ी कटिंग का कार्य	12.55	150
25	Autocad Latest license version 2019 उपलब्ध कराने बाबत का कार्य	1.68	151
26	जेडीए अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए आईडी कार्ड बनवाने बाबत।	0.16	154
27	Spot purchase committee के माध्यम से क्रय कुर्सीयों के भुगतान बाबत प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति	0.35	155
28	प्राधिकरण कार्यालय में सचिव महोदय के कक्ष हेतु टेबल क्रय करने का कार्य	0.75	156
29	आफिसर्स अलमारी ग्लास दरवाजा पीडब्ल्यूडी न्यास भवन	0.14	158
30	RERA registration of Mahatma Gandhi Residencial Scheme	0.20	168
31	सम्राट अशोक उद्यान में उद्यान के मध्य हाईमास्ट लाईट एवं आउटर ट्रेक पर प्रकाश व्यवस्था का कार्य	40.00	170
32	राजस्थान सरकार के वर्ष 2020 के केलेण्डर क्रय करने बाबत।	0.13	171
33	Consultancy work for preparation of detailed project report for renovation and development of swimming pool at Samrat Ashok	5.00	172
34	प्राधिकरण की विभिन्न शाखाओं में नई कुर्सिया की खरीद के संबंध में	16.60	173
35	ग्राम आंगणवा के स्वीकृत प्लान खसरा सं. 188/1, 188/11, 188/2, 188/10 हेतु एप्रोच सडक निर्माण कार्य	46.20	177
36	ग्राम आंगणवा के स्वीकृत प्लान खसरा सं. 188/1, 188/11, 188/2 एवं 188/10 के लिए एप्रोच सडक पर सार्वजनिक पथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य	4.00	180
37	सम्राट अशोक उद्यान में लगे विभिन्न विद्युत उपकरण की देखरेख एवं रखरखाव का कार्य	7.50	183
38	बरकतुल्ला खां स्टेडियम में लगे विभिन्न विद्युत उपकरण की देखरेख व मरम्मत एवं आवश्यकतानुसार नये कार्य जैसे की वायरिंग, नये पंखे, लाईट सबमर्शिबल पम्पस आदि मांग के अनुसार लगाने का कार्य	15.23	190
39	26 जनवरी, 2020 गणतन्त्र दिवस के उपलक्ष पर लड्डूओं का वितरण का कार्य।	0.50	195
40	प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा कार्यालय उपयोग हेतु क्रय की	0.42	197

— E M —

	गई सामग्री एवं वित्तीय स्वीकृति के क्रम में।		
41	प्राधिकरण में कार्यरत कर्मचारियों हेतु चतुर्थ श्रेणी व अन्य कर्मचारियों की साबुन डस्टर (सफाई हेतु कपड़ा) वितरण करने का कार्य	1.26	198
42	सम्राट अशोक उद्यान में सीसीटीवी कैमरे लगाने का कार्य	18.10	202
43	सम्राट अशोक उद्यान में साफ सफाई का कार्य	7.55	203
44	कायलाना पार्क भूमि सड़क जाने वाले मार्ग के पास से सिद्धनाथ मन्दिर तक कायलाना झील के पास में टोटल स्टेशन सर्वे	0.20	63/2019-20
45	अशोक कॉलोनी पूंजला में सड़क निर्माण कार्य।	87.65	66
46	वार्ड नं. 60 मदेरणा कॉलोनी में क्षतिग्रस्त सड़को एवं सीवर लाईन का कार्य	229.00	67
47	वार्ड नं. 63 में स्थित ढलावता व बनावता बेरा में सीसी सड़क का निर्माण कार्य	65.00	68
48	मण्डोर उद्यान गेट नं. 2 के पास मुख्य सड़क के दोनों तरफ मण्डोर पेट्रोल सर्विस से चूटिया चक्की की दूकान एवं आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के सामने इन्टरलॉकिंग टाइल्स लगाने का कार्य	27.50	69
49	वार्ड सं. 59 में स्थित शिव शक्ति नगर गली नं. 5, 6 व अन्य गलियों में डामरीकरण कार्य।	59.60	70
50	वार्ड नं. 61 में सज्जन नगर, शिव सागर, शान्ति विहार, जयमल नगर में डामरीकरण का कार्य	149.85	71
51	वार्ड नं. 59 में स्थित तिलक नगर प्रथम, द्वितीय, तृतीय आर्य नगर व रामनगर में डामरीकरण का कार्य	148.02	72
52	वार्ड नं. 59 में स्थित शिव शक्ति नगर गली नं. 1,2,3 व अन्य गलियों में सीसी सड़क निर्माण कार्य	187.40	73
53	बाबू लक्ष्मण सिंह पार्क में भदवासिया पुलिया तक सड़क निर्माण कार्य।	123.36	74
54	मानसागर पार्क में ओपन जिम उपकरण एवं बच्चों के झूले लगाने का कार्य	8.30	75
55	वार्ड नं. 63 स्थित भानुनगर में पार्क का विकास कार्य	12.80	76
56	ग्राम पंचायत नान्दडी कला में विभिन्न गावों में पथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य	49.00	77
57	गांव जालेली फोजदारा में पथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य	9.00	78
58	ग्राम पंचायत दईजर में पथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	14.00	79
59	ग्राम पंचायत गुड़ा विश्णोईयान में पथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य	21.00	80
60	जोन पश्चिम क्षेत्राधिकार में सड़क पेच मरम्मत कार्य (वार्षिक अनुबन्ध)	96.45	81
61	Consultancy work for prepration for Amusement Park at Samrat Ashok Udhyan Jodhpur	4.72	86
62	शाला क्रीडा संगम परिसर में स्कोटिंग मैदान एवं टेबल टेनिस हॉल में एलईडी लाईट लगाने का कार्य	6.40	87
63	नवदुर्गा नगर ग्राम दण्ड के खसरा संख्या 3/2, वार्ड संख्या 26 में विभिन्न गलियों में डामरीकरण का कार्य।	16.52	88
64	जोन पूर्व के वार्ड नं. 57 में सारण नगर व अन्य क्षेत्रों में सीवर	125.50	89

— E M —

	लाईन से क्षतिग्रस्त शेष सडको का निर्माण कार्य		
65	वार्ड नं. 57 में विष्णु नगर डिगाडी क्षेत्र के आस-पास शेष रहे क्षेत्रों में सीवर लाईन डालने का कार्य	201.23	90
66	वार्ड नं. 57 के सारण नगर सी रोड महादेव नगर व अन्य शेष रहे क्षेत्रों में सीवर लाईन डालने का कार्य	200.55	91
67	जोधपुर शहर में प्रस्तावित सारण नगर से बनाड़ तक फोर लेन सडक निर्माण, जोजरी नदी पर पुल व माता का थान नाले को जोजरी नदी तक जोड़ने के कार्य की डीपीआर बनाने का कार्य	118.00	92
68	जोन उतर में स्थित मुख्य सडको के डिवाइडरों पर लगे पेड पौधो का रख रखाव नये पौधे लगाने का कार्य (तीन वर्ष संधारण)	40.50	94
69	जोन उतर में क्षेत्राधिकार में स्थित विभिन्न स्थानों पर सिविल मरम्मत कार्य।	49.95	95
70	पावटा सी मेन रोड स्थित शक्तिनगर गली नं. 1 व 3 में सीसी सडक निर्माण कार्य	122.82	96
71	सुरपूरा डेम के आस-पास क्षेत्र को विकसित करने हेतु टोटल स्टेशन सर्वे कार्य	0.83	97
72	मुख्य सडक जयपुर रोड़ पर पावटा से सारण नगर तक डिवाइडर रंग रोगन का कार्य	6.10	98
73	शोभावतो की ढाणी स्थित टेम्पो स्टेण्ड से अमृत विहार होते हुए पूर्वी पाल स्कीम तक एप्रोच सडक एवं डामरीकरण का कार्य	41.40	99
74	पाल रोड खेमें का कुआ से शोभवतो की ढाणी की मुख्य सडक को चौडा करना व सुदृढीकरण का कार्य	121.80	100
75	जोन दक्षिण के क्षेत्राधिकार में स्थित सडको पर सडक सुदृढीकरण एवं पेच रिपेयर का कार्य	177.65	101
76	जोन दक्षिण के क्षेत्राधिकार में स्थित सडको व विभिन्न स्थानो पर सिविल मरम्मत का कार्य	50.00	102
77	मारवाड़ नगर डाली बाई मंदिर 103/2019-20 के पास जोधपुर-जैसलमेर बाईपास में सीवर लाईन डालने का कार्य	85.65	103
78	Construction of CC road on WBM logging area at different location at DPS to Boranada toll road Jodhpur	123.80	104
79	Construction of CC road on WBM logging area at different location at Pal Road from 12th road to DPS	49.35	105
80	घडी तिराहे से पाल रोड तक रिकारपेटिंग का कार्य	22.00	106
81	घडी तिराहे से सेन्ट्रल एकेडमी तक सडक निर्माण कार्य	35.50	107
82	जोन पश्चिम क्षेत्राधिकार में विभिन्न स्थानों पर सिविल मरम्मत का कार्य (वार्षिक अनुबन्ध)	47.65	108
83	चौपासनी रोड भटटी की बावडी से जैसलमेर बाईपास तक सडक सुदृढीकरण का कार्य	165.45	109
84	जोन पूर्व में शहर की मुख्य सडको पर वृक्षारोपण कार्य दो वर्ष संधारण का कार्य	50.00	110
85	जोन पूर्व में स्थित रमजान हत्था क्षेत्र की मुख्य एप्रोच सडक व अन्य सडको का निर्माण कार्य	66.50	111
86	जोन पूर्व में सेन्ट अन्नत लेविस स्कूल से ग्राम नान्दडी तक कटान मार्ग पर सडक निर्माण कार्य	75.00	112

EM

87	जयपुर रोड स्थित नान्दडी फाटा से नान्दडी गांव का एप्रोच सडक का निर्माण कार्य	92.00	113
88	Renovation work of road from University to Under Bridge 1st via PWD Circle	80.50	114
89	Renovation of road from civil lines circle to Air Force tempo stand via Kamala Mehata Circle and Central School (KV No. 1 Air Force)	158.00	115
90	झालामण्ड वार्ड सं. 26 स्थित हेम नगर में सीवर लाईन से क्षतिग्रस्त सड़को का निर्माण कार्य	98.60	116
91	उम्मेद उद्यान पार्क में रि-कॉरपेटिंग का कार्य	74.75	117
92	जोधपुर शहर की प्रमुख दीवारों पर पेन्टिंग व माण्डने का कार्य	75.00	118
93	Development and Beautification of musical fountain at Mansagar Park	65.60	119
94	मण्डोर आरओबी ब्रिज से 9 मील मथानिया बाईपास आरओबी वाया मण्डोर थाना 8 मील होते हुए मिडियन में सार्वजनिक पथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य	114.00	120
95	चौपासनी रोड भट्टी की बावडी से जैसलमेर बाईपास तक सडक सुदृढीकरण का कार्य	165.45	121
96	Approach road to civil Aerodrome from officers Mess, Jodhpur	20.50	122
97	जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के लिए सूचना बोर्ड पर पेन्टिंग व सूचना लिखवाने का कार्य।	0.29	125
98	जोन दक्षिण में विभिन्न स्थानों पर इन्टरलॉकिंग टाइल्स लगाने का कार्य।	49.55	129
99	Consultancy work for Preparation of Detailed Project Report for development of Recreation park near Surpura Dam Jodhpur	5.00	130
100	Consultancy work for Preparation of Detailed Project Report for development of Amrit Lal Gehlot Stadium Chainpura Jodhpur	3.00	131
101	घेवर जी विश्नोई के घर से कुमकुम किराणा स्टोर विश्नोईयों का बास सुथला वार्ड नं. 02 में सीमेन्ट कंक्रीट सडक निर्माण कार्य	21.70	132
102	Construction of Toilet, road parking & remaning work of Open Air Theater at Ashok Udhayan Phase II	110.55	133
103	Traffic Signal lights & blinker at various location of Jodhpur city	71.00	135
104	अरोड़ा सर्कल से पीली टंकी तक बाधक विद्युत पोल, 11 केवी लाईन, एलटी लाईन, 11/0.4 केवी सब स्टेशन को आवश्यकतानुसार भूमिगत व शिफ्ट करने का कार्य	64.00	136
105	Consultancy work for preparation of Detailed Project Report for Jojari River Front Development at Jodhpur	300.00	139
106	Consultancy work for preparation of Detailed Project Report for Elevated Road from Kirshi Mandi Circle to Akhaliya Circle via Sojati Gate in Jodhpur	295.00	141
107	प्राधिकरण द्वारा यातायात विभाग को उपलब्ध करवाई जाने वाली केनों की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति।	15.00	142
108	अरोड़ा सर्कल से पीली टंकी सड़क पर सार्वजनिक पथ-प्रकाश व्यवस्था का कार्य	49.71	144



109	ग्राम पंचायत बनाड में विभिन्न ढाणियों जैसे सोडो की ढाणी, नान्दडा खुर्द, देवालिया में पथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य	21.00	145
110	आरटीओ फाटक पर निर्माणाधीन आरओबी बाधक विद्युत पोल, 11 केवी लाईन, एलटी लाईन, 11/0.4 केवी सब स्टेशन को आवश्यकतानुसार भूमिगत व शिफ्ट करने का कार्य	117.00	152
111	Shifting of sewer line, main holes & vent shaft at RTO ROB C-168 Jodhpur	81.82	153
112	Conservation Restoration and Development works of DOMES of Sardar Market clock Tower at Jodhpur	49.50	157
113	पीली टकी से मेस से यूनिवर्सिटी गेट में गुजर रही 33 केवी लाईनों के शिफ्टिंग / भूमिगत का कार्य	61.00	159
114	हरीश चन्द्र माथुर प्रशिक्षण केन्द्र में ऑपन जिम लगाने का कार्य	7.40	160
115	वीवीआईपी आवागमन के दौरान हल्के वाहन हटाने हेतु क्रेन उपकरण कराने बाबत।	0.90	161
116	वीवीआईपी आवागमन के दौरान भारी वाहन उठाने हेतु क्रेन उपकरण कराने बाबत।	0.90	162
117	Total Station DGPS drone. Survey work for JDA area (annual rate contract)	30.00	163
118	वार्ड 2 बावरी बस्ती अशोक नगर में व अन्य शेष रहे क्षेत्रों में सीवर लाईन डालने का कार्य	34.75	164
119	मारुति वर्कशॉप न्यू 80 फीट रोड, सारण नगर के पास लगे टावर को शिफ्ट करने बाबत।	2.36	165
120	जोधपुर शहर के विभिन्न स्थानों पर ओवर हेड साईन बोर्ड गेन्ट्री लगाने का कार्य	16.80	166
121	Consultancy work for preparation of Detailed Project Report for construction of Auditorium under Tagore Cultural Complex Scheme at Jodhpur	12.00	167
122	पाली मुख्य सडक से वैशाली आर्बिट कॉलोनी तक सडक का सुदृढीकरण का कार्य	23.75	169
123	भैरव नाला निर्माण कार्य हेतु डीपीआर तैयार करवाने के संबंध में।	22.50	174
124	नये राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर के बाहर बने आईलेण्ड स्टोन के फर्श की घिसाई का कार्य	1.99	175
125	जोधपुर किला रोड से बालसंमद रावटी सडक मार्ग के लिए वन-विभाग से अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त करे हेतु कन्सलटेन्ट नियुक्त	1.50	176
126	जोन पश्चिम क्षेत्राधिकार में विभिन्न स्थानों पर सडक सुदृढीकरण का कार्य	149.30	178
127	कायलाना के चारो तरफ सडक निर्माण कार्य हेतु वन विभाग की अनापति हेतु कन्सलटेन्ट हायर करने का कार्य	1.50	179
128	जोन दक्षिण के विभिन्न स्थानों पर मांग के अनुसार सार्वजनिक पथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य	50.00	181
129	जोन दक्षिण में रोड लाईट वायर एवं टाईमर लगाने का कार्य	15.00	182
130	जोधपुर शहर के विभिन्न स्थानों पर आवश्यकतानुसार अस्थाई लाईट की व्यवस्था एवं आवश्यकतानुसार जनरेटर लगाने की व्यवस्था करने का कार्य	30.00	184

— E —

131	जोन पश्चिम में रोड लाइट वायर एवं टाईमर लगाने का कार्य	15.00	185
132	जोन पश्चिम के विभिन्न स्थानों पर मांग के अनुसार सार्वजनिक पथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य	50.00	186
133	जोन दक्षिण में लगी लाईटों का रख-रखाव दो वर्ष तक करने हेतु।	92.60	187
134	जोन पश्चिम में लगी लाईटों का रख-रखाव दो वर्ष तक करने हेतु	74.00	188
135	जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा शहर में विभिन्न स्थानों पर लगे फव्वारों एवं म्यूजिकल फव्वारों का रख-रखाव एवं सुरक्षा करण का कार्य (वार्षिक अनुबन्ध पर)	65.00	189
136	पाल रोड पाल बालाजी के पास मेडतिया गार्डन से बुल्लींग स्कूल सड़क निर्माण कार्य	12.85	191
137	ग्राम गंगाणा से मौलाना यूनिवर्सिटी बुझावड तक एग्रोच सड़क निर्माण कार्य	79.80	192
138	Consultancy work of preparation of Detailed Project Report for construction of road around the Kayalana lake Jodhpur	5.00	193
139	पाल रोड पर पाल बालाजी मन्दिर से बोरानाडा टोल रोड की शुरुआत तक लगी सोडियम लाईटों को बदलकर एवं एलईडी लाईट्स एवं खराब केबल के स्थान पर नयी केबल व टूटे पोलो के स्थान पर नये पोल बनाने का कार्य।	41.00	194
140	महामहिम राष्ट्रपति महोदय की यात्रा दिनांक 06.12.2019 व 07.12.2019 के दौरान क्रय की गई सामग्री की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के क्रम में।	0.37	196
141	उम्मेद उद्यान के पीछे की तरफ स्थित झूकी चार दीवारी का जीर्णोद्धार का कार्य	4.00	201
142	Development and Environmental Improvement of Naya Talab, Jodhpur	784.00	-
143	शाला क्रीडा गौशाला मैदान में बास्केट बॉल मैदान में दोनों कोर्ट को सिन्थेटिक बनाने का कार्य।	18.50	-
144	शाला क्रीडा गौशाला मैदान में नवीन मल्टी पर्पज इण्डोर हॉल का निर्माण कार्य	175.00	-
145	बावरला गांव रोड से श्री महालक्ष्मी नारायण मंदिर तक सार्वजनिक पथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य	4.00	-
146	रातानाडा स्थित राजीव गांधी कॉलोनी सामुदायिक भवन मरम्मत कार्य।	5.50	-
147	Consultancy work of preparation of General Arrangement Drawing (GAD) of ROB and Traffic Survey at LC C-160 (Banar Phatak) at Jodhpur	2.00	-
	कुल योग	8793.56	

निर्णय

बैठक में वाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव कार्यकारी समिति की अनुशंसा के साथ आगामी प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

अतः कार्यकारी समिति में लिये गये निर्णय अनुसार प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।



निर्णय

बैठक में विचार विमर्श के दौरान अवगत कराया गया कि उपरोक्त प्रस्ताव में वर्णित निर्णय वास्तव में प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 20 फरवरी, 2020 में अंकित निर्णय है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 20 फरवरी, 2020 में लिये गये निर्णय का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 16 :: जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर में नवीन कार्यालय भवन का निर्माण कार्य।

क्र सं	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।	जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर में नवीन कार्यालय भवन का निर्माण कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु।

जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के कार्यालय भवन का निर्माण कार्य हेतु दिनांक 10.05.2011 की प्राधिकरण की बैठक में हुये निर्णय के अनुसार G+7 मंजिल भवन निर्माण प्रस्तावित किया गया। इसी अनुसार कन्सलटेन्ट द्वारा डीपीआर तैयार की गई। जिसके अनुसार G+7 मंजिल कार्य की अनुमानित लागत रु. 25.00 करोड आयी।

जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर में कार्यालय भवन का निर्माण कार्य हेतु प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 22.09.2012 के प्रस्ताव संख्या 2(2) में लिये निर्णय अनुसार प्रथम चरण में तहखाना, भूतल व 2 मंजिल भवन का निर्माण कार्य प्रस्तावित कर रु. 9.25 करोड की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई। जिसमें कन्सलटेन्सी चार्ज सम्मिलित था। इस कार्य हेतु रु. 15.64 करोड का कार्यादेश मैसर्स फजुर्रहमान एण्ड संस को अनुबंध संख्या एफ 38 (113) 2012-13 के तहत जारी किया गया जिसमें कार्य शुरू करने की दिनांक 09.02.13 तथा कार्य पूर्ण करने की दिनांक 08.02.2015 थी। जोधपुर विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 13.08.2013 के प्रस्ताव संख्या 21 (20) में लिये गये निर्णय के अनुसार उक्त कार्य हेतु रुपये 1075.00 लाख की अधिक कार्य तथा अतिरिक्त कार्य रु. 500 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई उक्त स्वीकृति में अधिक व अतिरिक्त कार्यों का विवरण सलंगन नहीं था। इस प्रकार कुल स्वीकृति रुपये 25.00 करोड जारी की गई।

वर्तमान में G+2 के स्थान पर मौके पर तहखाना, भूतल व तीन मंजिल का structure का कार्य पूर्ण है तथा थोडा फिनिसिंग का कार्य किया गया है कार्य पूर्ण करने की तिथि भी काफी पहले समाप्त हो चुकी है।

अतः प्राधिकरण की बैठक दिनांक 19.04.2018 एजेण्डा नं. 05 के निर्णय अनुसार प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया कि चूंकि मूल कार्यादेश राशि से कहीं अधिक राशि की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है एवं तत्कालीन संवेदक द्वारा जिस दर पर कार्य किया जा रहा है। वह वर्तमान बीएसआर के अनुसार प्राधिकरण के हित में नहीं है साथ ही संवेदक द्वारा मूल प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की राशि का कार्य किया जा चुका है। ऐसी परिस्थिति में बाद विचार विमर्श सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण में नवीन भवन के लिये वर्ष 2013 में जारी कार्यादेश को तत्काल प्रभाव से विद्भोवल किया जावे



एवं शेष कार्य के लिये अतिशीघ्र तकमीना तैयार कर चरणबद्ध नवीन प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर नई निविदा आमंत्रित की जावे एवं कार्य को पूर्ण करवाया जाये।

संवेदक द्वारा आज दिनांक तक कुल राशि रु. 12.50 करोड का कार्य किया जा चुका है इस खर्च का सदुपयोग तब तक नहीं होगा जब तक कार्य पूर्ण नहीं होगा। अतः कार्य का शेष सिविल कार्य पर राशि रु. 3.60 करोड, एलीवेशन पर राशि रु. 1.64 करोड, बिजली कार्य पर 3.00 करोड, फायर प्रोटेक्शन कार्य पर राशि रु. 1.25 करोड, फर्नीचर कार्य पर राशि रु. 2.50 करोड खर्चा आयेगा अतः मौजूदा ढाचें पर कुल लागत राशि रूपये 11.99 करोड आयेगी उपरोक्त कार्य में फर्नीचर कार्य सिविल कार्य पूर्ण होने के पश्चात करवाया जाना प्रस्तावित है।

अतः उपरोक्त आधार पर कार्य पर कुल व्यय राशि रु. 11.99 करोड की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है

निर्णय

बैठक में इस बाबत गहन विचार विमर्श किया गया। भवन निर्माण अधूरा है तथा वर्तमान में उपयोग लायक नहीं है। जब तक इसे पूरा नहीं किया जाता है तब तक पूर्व हुआ व्यय अनुपयोगी रहेगा। इस संबंध में गम्भीर ऑडिट आक्षेप निर्मित होने की पूर्ण संभावना है तथा भवन अपूर्ण रहना तथा अब तक हुए व्यय का उपयोगी नहीं होना जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के हित में नहीं है। अतः प्राधिकरण की बैठक दिनांक 19 अप्रैल, 2018 में लिये गये निर्णय की पालना में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से कार्यालय भवन को पूर्ण करने हेतु नवीन निविदा से कार्य करवाने हेतु राशि रूपये 11.99 करोड की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिये जाने का निर्णय लिया गया तथा अधूरे पड़े कार्यालय भवन को नई निविदा जारी कर पूर्ण कराने की अनुशंसा के साथ प्रकरण प्राधिकरण की आगामी बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जाने का सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया।

अतः कार्यकारी समिति में लिये गये निर्णय अनुसार प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श के दौरान अवगत कराया गया कि उपरोक्त प्रस्ताव में वर्णित निर्णय वास्तव में प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 20 फरवरी, 2020 में अंकित निर्णय है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 20 फरवरी, 2020 में लिये गये निर्णय का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 17 :: पाक विस्थापितों को भारतीय नागरिकता प्रदान किए जाने के बाद आवासीय भूखण्डों का आवंटन एवं उक्त योजना का नामकरण विनोदाभावे रखने बाबत।

क्र. सं.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है। JDA/FTS/10868	पाक विस्थापित पुर्नवास हेतु खसरा नं. 28 ग्राम चौखा में ले-आउट समिति द्वारा 300 बीघा भूमि का किया गया है। अतः उपरोक्त योजना का नामकरण विनोदाभावे योजना रखना प्रस्तावित है।



पाक विस्थापितों को पुनर्वास हेतु भूमि खसरा नं. 28 में 500 बीघा भूमि आरक्षित की गयी है। जिसके संबंध में राज्य सरकार के पत्रांक प3(154) नविवि/3/2013 दिनांक 5.8.2013 के अनुसार प्रश्नगत भूमि आरक्षित दर पर, आय वर्ग अनुसार आवास भूखण्ड आवंटन किये जाने बाबत प्रकरण को विषेध प्रकरण मानते हुए राजस्थान नगर सुधार न्यास (नगरीय भूमि निष्पादन) के नियम- 1974 के नियम 18(बी) के अंतर्गत आवंटित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

राज्य सरकार के पत्रांक प-1(88)नविवि/जोधपुर/2017 दिनांक 5.2.2018 के अनुसार खसरा नं. 28 की 500 बीघा भूमि का Hilly and rocky से आवासीय भू उपयोग परिवर्तन किए जाने पर यदि पर्यावरण पर कोई विरित प्रभाव नहीं पड़ता है एवं प्रश्नगत भूमि को ईकोलोजिकल जोन चिन्हित नहीं किया गया हो, तो व्यापक जनहित (Large Public Interest) के परिपेक्ष्य में आवासीय प्रयोजनार्थ भूउपयोग परिवर्तन नियमानुसार किए जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की गई। प्राधिकरण के आयोजना शाखा अधिकारी द्वारा मास्टर प्लान 2023 में Hilly and rocky यूज में पृथक से ईकोलोजिकल जोन की अधिसूचना/चिन्हीकरण की सूचना उपलब्ध होना बताया है।

नगरीय विकास विभाग की पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्रदान किये जाने के बाद आवासीय भूखण्डों के आवंटन बाबत नीति क्रमांक प. 1(8) नविवि/जयपुर/2017 दिनांक 10 मई, 2018 में स्पष्ट किया है कि 100 वर्ग मीटर तक भूखण्डों का आवंटन किया जा सकता है।

जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के भवन मानचित्र समिति (ले-आउट) प्लान की बैठक दिनांक 3.10.2018 को पाक विस्थापित को भूखण्ड आवंटन हेतु योजना का ले-आउट प्लान जारी किया गया है। ले-आउट प्लान 300 बीघा का किया गया है जिसके अनुसार 1700 भूखण्डों का आवंटन राज्य सरकार की नीति अनुसार किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्नगत भूमि खसरा नं. 28 ग्राम चौखा में पाक विस्थापित के पुनर्वास हेतु योजना का नाम विनोबाभावे योजना रखने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति बैठक में निर्णयाथ एवं विचारार्थ हेतु प्रस्तुत है। रैरा में रजिस्ट्रेशन हेतु निदेशक वित्त एवं निदेशक अभियांत्रिक को अवगत कराया कि रैरा में रजिस्ट्रेशन हेतु योजना में खाता खुलवाया जावे एवं रैरा में रजिस्ट्रेशन अविलम्ब किया जावे ताकि योजना की अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव कार्यकारी समिति की अनुशांषा के साथ प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

अतः कार्यकारी समिति में लिये गये निर्णय अनुसार प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श के दौरान अवगत कराया गया कि उपरोक्त प्रस्ताव में वर्णित निर्णय वास्तव में प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 20 फरवरी, 2020 में अंकित निर्णय है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 20 फरवरी, 2020 में लिये गये निर्णय का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 18 :: सुन्दर सिंह भण्डारी नगर योजना विस्तार योजना का नामकरण निर्देशानुसार महात्मा गांधी नगर योजना लॉच करने बाबत।



क्र. सं.	प्रमारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रमारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है। JDA/FTS/10890	सुन्दर सिंह भण्डारी नगर योजना विस्तार योजना का नामकरण निर्देशानुसार महात्मा गांधी नगर योजना लॉच करने की अनुशंषा सहित पत्रावली निर्णयार्थ हेतु प्रस्तुत है।

प्राधिकरण द्वारा सुन्दर सिंह भण्डारी नगर आवासीय योजना विकसित की गई थी जिसके समीप खसरा संख्या 289 रकबा 298010.43 वर्गगज ग्राम बासनी मालियान् में उक्त सुन्दर सिंह भण्डारी नगर विस्तार योजना का ले-आउट प्लान 22.5.2019 को आयोजित ले-आउट प्लान समिति की बैठक में परित किया गया हैं उक्त योजना में विभिन्न आकारो के कुल 389 भूखण्ड है। जिनमे से 56 भूखण्ड कोर्नर हैं।

उक्त सुन्दर सिंह भण्डारी नगर विस्तार योजना के लॉच करने योजना में नियमानुसार भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित करने, आवेदन पत्र के आधार पर लॉटरी द्वारा भूखण्ड आवंटन करने की स्वीकृति हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष दिनांक 7.4.2019 को समक्ष प्रस्ताव संख्या 29 के द्वारा निर्णयार्थ रखा गया था।

अतः अब इस योजना का नाम परिवर्तित कर महात्मा गांधी नगर आवासीय योजना रखे जाने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक में रखा जाने हेतु निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव कार्यकारी समिति की अनुशंषा के साथ प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

अतः कार्यकारी समिति में लिये गये निर्णय अनुसार प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श के दौरान अवगत कराया गया कि उपरोक्त प्रस्ताव में वर्णित निर्णय वास्तव में प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 20 फरवरी, 2020 में अंकित निर्णय है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 20 फरवरी, 2020 में लिये गये निर्णय का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित प्रस्ताव भी बैठक में प्रस्तुत किये जाकर निर्णय लिये गये:-

प्रस्ताव संख्या 19 :: मास्टर डवलपमेन्ट प्लान-2031 (प्रारूप) में प्राप्त आपत्ति-सुझाव के निस्तारण के संबंध में।

मास्टर डवलपमेन्ट प्लान-2031 (प्रारूप) को दिनांक 27.09.2013 को जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 की धारा (2) की उपधारा (8) के अंतर्गत आमजन से आपत्ति-सुझाव प्राप्त करने के लिये प्रकाशित किया गया। निर्धारित अवधि दिनांक 27.09.2013 से दिनांक 27.10.2013 तक कुल 327 आपत्ति-सुझाव प्राप्त हुए तथा निर्धारित अवधि के पश्चात् 11 आपत्ति-सुझाव प्राप्त हुए। दिनांक 11.08.2014 को तत्कालीन अध्यक्ष महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर एवं जिला कलक्टर महो, जोधपुर की अध्यक्षता में आयोजित प्राधिकरण बैठक में मास्टर डवलपमेन्ट प्लान-2031 (प्रारूप) के संबंध में आमजन को व्यापक



जनहित, निर्णय के दूरगामी परिणामों को ध्यान में रखते हुए एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के अनुरूप अवसर प्रदान करने हेतु दिनांक 29.08.2014 तक अपनी आपत्ति-सुझाव एवं अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा व्यक्तिशः सुनवाई का अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया गया। उक्त क्रम में दिनांक 12.08.2014 से दिनांक 29.08.2014 तक कुल 789 नये आपत्ति-सुझाव प्राप्त हुए तथा निर्धारित अवधि के पश्चात् 39 आपत्ति-सुझाव प्राप्त हुए। आयोजना प्रकोष्ठ द्वारा प्राप्त समस्त आपत्ति-सुझाव (327+11+789+39=1166) पर विभिन्न आयोजना संबंधित पहलुओं, तकनीकी मानदण्डों एवं आपत्ति-सुझावों की मौका स्थिति को ध्यान में रखते हुए निर्णयों के प्रस्ताव तैयार किये गये हैं।

नगरीय विकास विभाग, राज. जयपुर द्वारा दिनांक 28.11.2019 को जारी आदेश के अन्तर्गत जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर क्षेत्र के प्रारूप मास्टर प्लान पर प्राप्त आपत्ति सुझावों के आधार पर तैयार की गई आपत्ति/सुझाव रिपोर्ट एवं कमिटेन्ट आदि को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में वांछित संशोधनों को सम्मिलित किये जाने हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया गया है -

01. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक-पूर्व
02. वरिष्ठ नगर नियोजक-जोधपुर
03. निदेशक आयोजना, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

उक्त समिति की बैठक दिनांक 09.12.2019 में लिये गये निर्णय अनुसार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 12.01.2017 व 15.12.2018 को पारित निर्णय के क्रम में जोधपुर मास्टर प्लान, 2023 एवं 2031 में रिक्रिएशनल जोन (पार्क, खुला क्षेत्र आदि) तथा सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक जोन (चिकित्सा, शैक्षणिक, सुविधा क्षेत्र) की सूची तैयार कर मास्टर प्लान, 2023 व 2031(प्रारूप) मानचित्र पर पृथक से दर्शित की जावें। साथ ही 395 राजस्व ग्राम को सम्मिलित करते हुए नगरीय क्षेत्र का मानचित्र तैयार किया जावें।

अतः उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में आपत्ति/सुझावों के निस्तारण व अन्य बिन्दुओं पर चर्चा हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये:-

1. जोधपुर मास्टर प्लान-2023 के नगरीय क्षेत्र में दर्शित जोन को मास्टर डवलपमेन्ट प्लान-2031 (प्रारूप) में किये गये सुपरईम्पोज को सत्यापित करते हुए उपरोक्त के अलावा शेष रहे मास्टर डवलपमेन्ट प्लान-2031 (प्रारूप) के क्षेत्र को भी छोटे-छोटे जोन्स में जीआईएस विशेषज्ञ की सहायता से विभाजित करवाया जावे।
2. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किये गये मेजर कमिटेन्ट्स यथा भू-उपयोग परिवर्तन, विभिन्न विभागों को भूमि आवंटन, आदि को जीआईएस विशेषज्ञ की सहायता से मास्टर डवलपमेन्ट प्लान-2031 (प्रारूप)पर दर्शाया जावें।
3. जीआईएस विशेषज्ञ की सहायता से जोधपुर शहर के मास्टरप्लान 2023 एवं मास्टर डवलपमेन्ट प्लान 2031 (प्रारूप) में आमोद प्रमोद (RECREATIONAL) जोन (पार्क, खुला क्षेत्र आदि) तथा सार्वजनिक- अर्द्ध सार्वजनिक जोन (चिकित्सा, शैक्षणिक, सुविधा क्षेत्र आदि) तथा लोकेशन, क्षेत्रफल, खसरानम्बर, गाँव आदि) तैयार किया जावें एवं उक्त को मास्टर डवलपमेन्ट प्लान 2031 (प्रारूप) एवं मास्टर प्लान 2023 एवं सेटलाईट इमेज पर सुपर ईम्पोज कर दर्शाया जावें।
4. मास्टर डवलपमेन्ट प्लान-2031 (प्रारूप) के संबंध में प्राप्त आपत्ति-सुझावों का आयुक्त/अध्यक्ष महोदय के स्तर से निस्तारण कर अभिशंसा के साथ राज्य सरकार द्वारा मास्टर डवलपमेन्ट प्लान-2031 (प्रारूप) को अंतिम रूप देने हेतु बनाई गयी 3 सदस्यीय समिति को अंतिम



निर्णयार्थ प्रेषित किया जावें तथा उक्त आपत्ति-सुझावों को जीआईएस विशेषज्ञ की सहायता से मास्टर डवलपमेंट प्लान-2031 (प्रारूप) पर सुपरइम्पोज किया जावें।


निर्णय:-विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि राजस्व ग्राम से अन्य राजस्व ग्राम अथवा राजस्व ग्राम से शहर को जोड़ने वाले राजस्व रास्तो/कटाण मार्गों की न्यूनतम चौड़ाई 100 फीट आरक्षित की जावें तथा उक्त सडकों को प्राधिकरण द्वारा कंसलटेंट के माध्यम से तैयार करवाये जा रहे जोनल डवलपमेंट प्लान में सम्मिलित किया जावें। साथ ही जोनल डवलपमेंट प्लान हेतु विभाजित किये गये जोन्स की अन्य मुख्य राजस्व रास्तो/कटाण मार्गों का सडक मार्गाधिकार न्यूनतम 80 फीट आरक्षित कियाजावें। उक्त सडकों को राजस्व शाखा से खसरा मानचित्र पर अंकित करवाया जावें तथा आमजन से आपत्ति-सुझाव आमंत्रित किया जावें।

तत्पश्चात् बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(यह बैठक कार्यवाही विवरण पत्रावली (बैठक शाखा/2018/भाग-8 प्राधिकरण की बैठक निर्धारण पत्रावली) के पैरा संख्या 22/एन. में अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदित है)

(उल्लेखनीय है कि जोधपुर विकास प्राधिकरण (कार्य संचालन) विनियम, 2014 के नियम 12 (2) में प्रावधान है कि यदि बैठक में उपस्थित पचास प्रतिशत या इससे अधिक सदस्य कार्यवृत्त प्राप्ति के सात दिवस के भीतर किसी विशिष्ट विनिश्चय या विनिश्चयों का कार्यवृत्त या उसके किसी भाग के गलत तथा/ या त्रुटिपूर्ण अभिलेखन के आधार पर आपत्ति करें और निवेदन करे कि उक्त विनिश्चय या विनिश्चयों का क्रियान्वयन रोक दिया जावेगा और अगली बैठक में ऐसे विनिश्चय लिये जाने तक क्रियान्वित नहीं किया जावेगा। यदि उपस्थित सदस्यों के पच्चीस प्रतिशत या इससे अधिक किन्तु पचास प्रतिशत से कम सदस्य उपयुक्त रूप से किसी विनिश्चय या विनिश्चयों पर आपत्ति करें और उसके या उनके प्रवर्तन को रोकने के लिए निवेदन करें तो अध्यक्ष, यदि वह उचित समझे, अगली बैठक तक, जब प्रश्न विनिश्चय के लिए रखा जायेगा, क्रियान्वयन रोक सकेगा। यदि उपस्थित सदस्यों के बीस प्रतिशत से कम सदस्य उपयुक्त रूप से किसी विनिश्चय या विनिश्चयों पर आपत्ति करें तो उनकी आपत्ति या आपत्तियां विनिश्चय के लिए अगली बैठक में रखी जावेगी।

कार्यवृत्त जब तक कि रोक या उलट न दिया गया हो, संशोधन या उपान्तरित न कर दिया गया हो, पीठासीन सदस्य तथा सचिव के हस्ताक्षरों के पश्चात् पुष्ट किया हुआ समझा जायेगा। परन्तु विनिश्चयों में ऐसे उपान्तरण, संशोधन या उनके उलटे जाने से विनिश्चय या विनिश्चयों में ऐसे उपान्तरण/संशोधन या उनके उलटे जाने से पूर्व की गई किसी बात या कार्यवाही पर किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ेगा)



(हरमान मीना)
सचिव

क्रमांक/बैठक/2018/भाग(8)/220-1305

दिनांक :: 22 मई, 2020

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. अतिरिक्त शासन सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर
02. महापौर महोदय, नगर निगम, जोधपुर
03. जिला प्रमुख महोदय, जिला परिषद, जोधपुर
04. जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर
05. संयुक्त शासन सचिव-तृतीय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर

06. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जोधपुर
07. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, जोधपुर
08. प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
09. उप आवासन आयुक्त-प्रथम/द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर
10. वरिष्ठ नगर नियोजक/उप नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर
11. निजी सचिव (अध्यक्ष महोदय/आयुक्त महोदय), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
12. निदेशक- अभियांत्रिकी/ आयोजना/ वित्त/ विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
13. उपायुक्त-पूर्व/पश्चिम/उत्तर/दक्षिण, उप सचिव, भूमि अवाप्ति अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
14. अधीक्षण अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
15. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक) जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को आवश्यक कार्यवाही एवं वेबसाईट पर प्रदर्शन हेतु।
16. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
17.



(हरभान मीना)
सचिव

श्री बी.एल. कोठारी, आई.ए.एस., संभागीय आयुक्त एवं अध्यक्ष महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में दिनांक 24 फरवरी, 2020 को सांय 3.45 बजे आयोजित प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित सदस्य/अधिकारियों का विवरण

1. श्रीमती सीमा कविया, अतिरिक्त कलक्टर-शहर, जोधपुर
2. श्री अयूब खां, उपायुक्त, नगर निगम, जोधपुर
3. श्री दिनेश पेडवाल, अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर
4. श्री योगेश कुमार, उप नगर नियोजक, कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर
5. श्री संजीव माथुर, अधिशाषी अभियन्ता, सी0डी0-1, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर
6. श्री मोहनराम विश्‍नोई, अधिशाषी अभियन्ता, डिस्ट्रीक्ट डिविजन-1A, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर
7. श्रीमती धर्मेन्द्र माथुर, तकनीकी सहायक उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल-1, जोधपुर
8. श्रीमती राज्यश्री कच्छवाह, तकनीकी सहायक उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल-1A, जोधपुर
9. श्री एल0आर0 विश्‍नोई, निदेशक-अभियांत्रिकी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
10. श्री तरुण कुमार कोहली, निदेशक-वित्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
11. श्री जे.के. चौहान, निदेशक-विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
12. श्री अनुज अग्रवाल, निदेशक-आयोजना, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
13. श्री ओ.पी. विश्‍नोई, उप सचिव एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
14. श्री अनिल कुमार पूनिया, उपायुक्त-पूर्व, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
15. श्री श्रवण सिंह, उपायुक्त-पश्चिम, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
16. श्रीमती पुष्पा हरवानी, उपायुक्त-उत्तर, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
17. श्री राजेन्द्रसिंह चांदावत, उपायुक्त-दक्षिण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
18. श्री हरभान मीना, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर